www.dhyeyaias.com

जनवरी 2021 | अंक 01

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

1 जम्मू-कश्मीर में डीडीसी चुनाव

स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने की कवायद

2 विज्ञान के क्षेत्र में लैगिंक समानता के लिए सरकारी प्रयास

3 भारत में दो बच्चों की नीति की आवश्यकता : एक अवलोकन

4 भारतीय संविधान का अनुच्छेद-356 और न्यायिक सक्रियतावाद

5 ईरान-अमेरिका संबंधों में एक बेहतर कूटनीति की आवश्यकता

6 भारत में श्रम कानूनों का उल्लंघन एवं उससे संबंधित मुद्दे

7 वैश्विक प्रवाल भित्तियों का विरंजन : यूएनईपी की रिपोर्ट

ध्येय IAS
most trusted since 2003

ध्येय IAS : एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सी.ई.ओ.

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect 7 : एक परिचय

कुरबान अली
मुख्य संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

प्रस्तावना

हमने 'PERFECT 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'PERFECT 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'PERFECT 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'PERFECT 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय IAS

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने 'PERFECT 7' पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 'PERFECT 7' पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त 'PERFECT 7' पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय IAS

ध्येय IAS
most trusted since 2003

www.dhyeyaias.com

PERFECT 7
साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

जनवरी 2021 | अंक 01

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.	➢ विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	➢ क्यू. एच. खान
मुख्य संपादक	➢ कुरबान अली
प्रबंध संपादक	➢ आशुतोष सिंह
संपादक	➢ जीत सिंह ➢ अवनीश पाण्डेय ➢ ओमवीर सिंह चौधरी ➢ रजत झिंगन
संपादकीय सहयोग	➢ प्रो. आर. कुमार
मुख्य लेखक	➢ अजय सिंह ➢ अहमद अली ➢ स्वाती यादव ➢ स्नेहा तिवारी
लेखक	➢ अशरफ अली ➢ गिरराज सिंह ➢ हरिओम सिंह ➢ अंशुमान तिवारी
समीक्षक	➢ रंजीत सिंह ➢ रामयश अग्निहोत्री
आवरण सज्जा एवं विकास	➢ संजीव कुमार झा ➢ पुनीश जैन
विज्ञापन एवं प्रोन्नति	➢ गुफरान खान ➢ राहुल कुमार
प्रारूपक	➢ कृष्ण कुमार ➢ कृष्णकांत मंडल ➢ मुकुन्द पटेल
कार्यालय सहायक	➢ हरीराम ➢ राजू यादव

Content Office

ध्येय IAS
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

विषय सूची

7 महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्न 01–14

- जम्मू-कश्मीर में डीडीसी चुनाव : स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने की कवायद
- विज्ञान के क्षेत्र में लैंगिक समानता के लिए सरकारी प्रयास
- भारत में दो बच्चों की नीति की आवश्यकता : एक अवलोकन
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद-356 और न्यायिक सक्रियतावाद
- ईरान-अमेरिका संबंधों में एक बेहतर कूटनीति की आवश्यकता
- भारत में श्रम कानूनों का उल्लंघन एवं उससे संबंधित मुद्दे
- वैश्विक प्रवाल भित्तियों का विरंजन : यूएनईपी की रिपोर्ट

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स 15–21

7 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित) 22–23

7 महत्वपूर्ण खबरें 24–29

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 30

7 महत्वपूर्ण तथ्य (प्रारंभिक परीक्षा हेतु) 31

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध एवं उत्तर लेखन के लिए उपयोगी) 32

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA –9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333, 7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

7 महत्वपूर्ण मुद्दे

01 जम्मू–कश्मीर में डीडीसी चुनाव : स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने की कवायद

चर्चा का कारण

- हाल ही में जम्मू-कश्मीर में 280 सीटों के लिए जिला विकास परिषद (डीडीसी) सदस्यों के चुनाव सम्पन्न हुए हैं। इस चुनाव में फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाले सात पार्टियों के गुपकर गठबंधन को सबसे ज्यादा 112 सीटों पर कामयाबी मिली है, जबकि 74 सीटों के साथ बीजेपी अकेली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है।

डीडीसी चुनाव क्या है?

- जम्मू और कश्मीर में पहली बार डीडीसी चुनाव सम्पन्न हुआ है। अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने से पहले जम्मू और कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली (ग्राम स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय) नहीं थी। भारत सरकार ने नवम्बर 2020 में जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 में संशोधन के लिए अपनी सहमति दे दी थी। अब इन चुनाव के जरिए जम्मू क्षेत्र के 10 और कश्मीर घाटी के 10 समेत कुल 20 जिलों में डीडीसी का गठन किया जाएगा।
- केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक जिले में 14 निर्वाचन क्षेत्र होंगे। इस प्रकार समूचे जम्मू और कश्मीर में कुल 280 निर्वाचन क्षेत्र के लिए इन चुनावों के माध्यम से लोग डीडीसी के प्रतिनिधियों का चयन करेंगे।

घाटी में लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के मायने

- कुछ विश्लेषकों को मानाना है कि कश्मीर में केंद्रीय सत्ताओं ने अपने नियंत्रण को बनाए रखने के लिए वहां वैकल्पिक राजनीतिक दलों और विचारधाराओं को राजनीतिक मनमुटाव के कारण कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। परिणाम यह हुआ कि सत्ता-विरोधी आवाजें भारत-विरोधी आवाजों में बदलती चली गईं। ऐसे में जम्मू और कश्मीर में स्थानीय चुनाव (J&K) नए केंद्र शासित प्रदेश के राजनीतिक विकास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। ऐसे में भारत की सरकार चाहती है कि घाटी में जल्दी लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बहाल हो और विकास कार्यों को गति मिल सके ।
- दूसरे राज्यों की अपेक्षा जम्मू -कश्मीर की स्थिति भिन्न है। वहाँ मुख्यधारा राजनीति से अलग ही धारा प्रभावी रहती आई है। इस लिहाज से यह चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि विकास कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के बीच तालमेल होना बहुत जरूरी है। इससे विधानसभा चुनाव का रास्ता भी साफ हुआ है।
- जिला विकास परिषद चुनाव के साथ ही जम्मू-कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई है। जिला विकास परिषद के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश में लोग अपने विकास का खाका खुद खींच सकेंगे।

गुपकार घोषणा की अस्वीकारता

- 22 अगस्त 2020 को श्रीनगर में छह राजनीतिक दलों- नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, पीपुल्स कांफ्रेंस, माकपा और ए.एन.के. एक मंच पर आए। सभी दलों ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन को असांविधानिक बताते हुए पांच अगस्त, 2019 से पूर्व की स्थिति बहाल करने की मांग की और इसे 'गुपकार घोषणा' की संज्ञा दी। इन मांगों को लेकर श्रीनगर में पिछले वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला

के गुपकार मार्ग स्थित आवास पर बैठक हुई थी, इसलिए इस घोषणापत्र का नाम 'गुपकार' रखा दिया गया। संक्षेप में कहें, तो ये सभी दल कश्मीर को पूर्व-स्थिति में लौटाना और घाटी की विशिष्ट पहचान को सुरक्षित रखना चाहते हैं। किन्तु जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती दिख रही है। साथ ही इससे लोकतंत्र की जड़े भी मजबूत होंगी। चाहे जम्मू हो या कश्मीर आम लोगों का निचले स्तर तक लोकतंत्र को मजबूत करने के प्रति उत्साह रहा।

जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की योजनाएँ

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत जम्मू-कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सेहत की शुरुआत की। इस योजना को पीएम-जय सेहत (PM Jay Sehat) के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, इस योजना में जम्मू एवं कश्मीर के सभी निवासियों को शामिल किया जाएगा तथा सभी लोगों को मुफ्त बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
- पिछले वर्ष जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना और स्टैंड-अप इंडिया जैसी 85 जनोन्मुख विकास योजनाओं की शुरुआत की थी।
- अटल पेंशन योजना सहित कई बीमा योजनाएं भी प्रदेश में शुरू की गई हैं और जम्मू एवं कश्मीर के सभी घरों में बिजली प्रदान करने की सरकार की योजना है। प्रधानमंत्री की विशेष पहल, जिसमें गरीब लोगों को एलपीजी कनेक्शन देना और एलपीजी व केरोसिन के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रदेश के इलाकों में मिलेगा। इसमें भी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ध्यान केंद्रित किया गया है।
- जम्मू-कश्मीर में लोगों तक पहुंच बनाने यानी मिशन रीच आउट के तहत सेना अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद स्थानीय लोगों की समस्याएं कम करने के लिए विभिन्न मैत्री अभियान, सामुदायिक सशक्तिकरण अभियान, चिकित्सा सहायता शिविर और सामुदायिक सौहार्द कार्यक्रम चला रही है।
- अभी तक जम्मू-कश्मीर में ठीक से लागू नहीं हो पाए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को नए सिरे से लागू किया जाएगा। इस मिशन से ग्रामीण इलाकों में दो-तिहाई परिवार को स्वावलंबी बनाने में मदद मिलेगी। अगले पांच साल के दौरान इस मिशन पर 520 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इस मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार से एक-एक महिला को जोड़कर एक स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है। फिर इस समूह को स्थानीय जरूरत के अनुसार आजीविका जुटाने के लिए प्रशिक्षण व धन अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाती है।

उग्रवाद और आतंकवाद से भी कठिन चुनौती

- पिछले कुछ सालों से जम्मू कश्मीर में सैनिकों और नागरिकों की मौतों की संख्या में काफी वृद्धि देखी गई हैं। वास्तव में, आतंकवादी हिंसा का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार के पास मजबूत क्षमता और सुरक्षा आयाम मौजूद हैं। नई और सबसे ज्यादा मुश्किल समस्या आतंकवादी हिंसा पर चढ़े 'नागरिक विरोध' के आवरण की रही है, जो आतंकवाद जैसे आंदोलन के नए चरण का सृजन कर रही है। मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में जुट रही भारी भीड़, शोक सभाओं के दौरान सशस्त्र आतंकवादियों की अस्पष्ट मौजूदगी, स्कूली बच्चों, लड़कों और लड़कियों, कई बार दस साल तक की उम्र के बच्चों को सभाओं को संबोधित करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा भावनाओं का उफान और आए दिन ग्रामीण कश्मीर में कफन पर लिपटे या बिजली के खम्बों पर लहराते पाकिस्तानी झंडों की संख्या में काबिले गौर बढ़ोत्तरी, स्पष्ट तौर पर इस बात को झुठलाती है कि ऐसा उकसावे में आकर किया गया है- ये सभी आतंकवाद से निपटने संबंधी व्यवस्था (काउंटर इन्सर्जेंसी ग्रिड) की अपेक्षाकृत नई किस्में हैं।
- आतंकी लगातार घाटी में अपनी रणनीति बदल रहे हैं। पाकिस्तान घाटी में अस्थिरता के लिए पूरा जोर लगा रहा है। इससे निपटने के लिए सुरक्षा बलों को दीर्घकालिक रणनीति की जरूरत है।

आगे की राह

- जम्मू कश्मीर के स्थानीय निकायों के चुनाव इस मायने में महत्वपूर्ण हैं कि उनके माध्यम से ही केंद्र की अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन होता है। विश्लेषकों का मानना है कि अब रुकी हुई योजनाएँ गति पा सकेंगी और नयी योजनाओं के लिए रास्ता खुलेगा। यह चुनाव इस बात का भी संकेत है कि घाटी के लोग अब सामान्य लोकतान्त्रिक व्यवस्था को स्वीकार कर चुके हैं।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां।

Topic:

- संसद और राज्य विधायिका- संरचना, कार्य, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

प्र. जम्मू और कश्मीर में स्थानीय चुनाव नए केंद्र शासित प्रदेश के राजनीतिक विकास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। चर्चा कीजिये।

02 विज्ञान के क्षेत्र में लैगिंक समानता के लिए सरकारी प्रयास

चर्चा का कारण

- वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा तैयार की जा रही नई विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति का मुख्य फोकस विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है।

परिचय

- दुनिया भर में प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा (STEM) में महिलाओं की तुलना में पुरुष ज्यादा सक्रिय हैं।
- अनुसंधान से पता चलता है कि जब पुरुष और महिलाएं श्रम बाजार में, या उन जगहों पर जहां उच्च स्तर की योग्यता की मांग की जाती है, की नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं - तो पुरुष उम्मीदवार आत्मविश्वास से भरे होते हैं, जबकि समान रूप से योग्य महिलाएं अपने आप को पुरुषों के मुकाबले कमतर आँकती हैं।
- जहां किसी कार्यस्थल पर पुरुष और महिला सहकर्मियों के रूप में मौजूद हैं, वहाँ महिलाओं के विचारों को या तो अनदेखा किया जाता है या पुरुषों की तुलना में उन्हें कम गंभीरता से सुना जाता है। नतीजतन, महिलाएं पुरुषों के सापेक्ष अपनी क्षमता को कम आंकती हैं।

विज्ञान में लैंगिक असमानता

- गौरतलब है कि लैंगिक असमानता वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पुरुषों और महिलाओं को समान नहीं माना जाता है।
- भले ही दुनिया भर में, महिला वैज्ञानिक अनुसंधान में सबसे आगे हैं। लेकिन उनकी उल्लेखनीय खोजों के बावजूद, विश्व स्तर पर वे अभी भी केवल 29% शोधकर्ताओं में शामिल हैं और भारत में तो ये संख्या और भी कम हो गई है।
- वहीं वैश्विक स्तर पर विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कारों का केवल 3% महिलाओं को प्रदान किया गया है और केवल 11% वरिष्ठ अनुसंधान भूमिकाएं महिलाओं द्वारा आयोजित की गयी हैं।
- यूनेस्को द्वारा विज्ञान में महिलाओं पर तैयार की गई 2018 फैक्ट शीट के अनुसार, शोधकर्ताओं में सिर्फ 28.8% महिलाएं शामिल हैं और भारत में, यह केवल 13.9% है।
- इसी संदर्भ में डीएसटी ने महिलाओं के नामांकन और महिला संकाय और उनके वैज्ञानिक करियर की उन्नति के आधार पर ग्रेडिंग संस्थानों की एक प्रणाली को विकसित करने की योजना बना रहा है।
- 2005 में यूके द्वारा एथेना स्वान (वैज्ञानिक महिला शैक्षणिक नेटवर्क) नामक एक कार्यक्रम से शुरू किया गया था, जिसे अब कई देशों द्वारा अपनाया जा रहा है। DST भी जल्द ही एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा, जो ब्रिटिश काउंसिल की मदद से विकसित की गयी है।

क्या है एथेना स्वैन?

- एथेना स्वैन ब्रिटेन में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा (एसटीईएमएम) के क्षेत्र में लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करता है।
- 2019 में, लोटबोरो विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी में ऑर्टस इकोनॉमिक रिसर्च की एक रिपोर्ट में पाया गया कि 93% प्रतिभागियों ने माना कि कार्यक्रम का लैंगिक समानता के मुद्दों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और 78% ने महिलाओं के करियर की प्रगति पर सकारात्मक प्रभाव देखा गया है।
- आज, इस कार्यक्रम में यूके और आयरलैंड में 170 संस्थान हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इसे SAGE (साइंस ऑस्ट्रेलिया जेंडर इक्विटी) के नाम से अपनाया है और इसमें 40 संस्थान जुड़े हैं। कनाडा, अमेरिका और भारत इसे लागू करने के लिए वर्तमान में प्रयासरत हैं।

भारत को इस तरह के कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों है?

- वर्ष 2018 के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत 149 देशों में से 108 वें स्थान पर है। डीएसटी के आंकड़ों के अनुसार, 2015-16 में, वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास में शामिल महिलाओं की हिस्सेदारी 14.71% थी
- डीएसटी ने यह भी पाया है कि महिलाओं को या तो पदोन्नत नहीं किया जाता है, या कई बार महिलाएं अपने परिवार का विकल्प चुनकर मध्य में ही कैरियर छोड़ देती हैं।
- इसी से सम्बंधित स्वतंत्र आयोगों और नीति आयोग द्वारा महिला वैज्ञानिकों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के कारणों का पता लगाने के लिए कई अध्ययन किए गए। अध्ययन में पाया गया कि महिलाओं पर परिवार चलाने के लिए सामाजिक दबाव अधिक होता है, जिससे वे पेशेवर कैरियर से दूर हो जाती हैं।
- कई R-D गतिविधियों में महिलाओं की नियुक्ति के सन्दर्भ में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है। साथ ही प्रशासक स्वयं कई बार निर्णय ले लेते हैं कि महिलाओं को R-D गतिविधियों में शामिल होने के वजाय अपने परिवार का विकल्प चुनना चाहिए।

सरकारी प्रयास

- विज्ञान के क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए तीन नई परियोजनाओं की घोषणा की गई है। इन परियोजनाओं में जेंडर एडवाँसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टिट्यूशन्स (गति), विज्ञान ज्योति और महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर केंद्रित पोर्टल शामिल हैं।
- विज्ञान ज्योति का उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (स्टेम) जैसे विषयों में मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा में आगे

बढ़ने के लिए प्रशिक्षित करना है। गति (GATI) परियोजना स्टेम विषयों में लैंगिक समानता का मूल्यांकन करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा विकसित करने के लिए शुरू की गई है। इसके अलावा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर केंद्रित पोर्टल पर महिलाओं पर केंद्रित योजनाओं, छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति और विशेषज्ञों से करियर सलाह मिल सकती है।

- विज्ञान ज्योति योजना कार्यक्रम के अंतर्गत देश के 500 से अधिक जिलों से चयनित महिलाओं को आईआईटी, एनआईटी और अन्य अग्रणी संस्थानों में, जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, वहां उनको विज्ञान विषयों में करियर बनाने में मदद की जाएगी।
- इसके अलावा महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकविदो को विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रें में बुनियादी या अनुप्रयुक्त विज्ञान में अनुसंधान के लिए अवसर प्रदान करना है।
- केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किरण योजना (KIRAN Scheme) की शुरुआत की भी गई थी।
- किरण के विभिन्न कार्यक्रम और घटक विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दो (करियर में बिखराव, मुख्य रूप से पारिवारिक जिम्मेदारियों, स्वरोजगार, अंशकालिक करियर, स्थानांतरण, आदि) के कारण महिला वैज्ञानिकों द्वारा करियर में डटकर सामना करने का सन्देश देते हैं।
- इसके अलावा विज्ञान ज्योति योजना हाईस्कूल में पढ़ने वाली मेधावी लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए विज्ञान, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी और गणित में अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए एक समर्पित कार्यक्रम है।
- कार्यक्रम का उद्देश्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए छात्राओं को प्रोत्साहित करना है और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाली छात्राओं को यह समझने में मदद करने की पेशकश करता है कि कैसे स्कूल से कॉलेज और उसके बाद विज्ञान के क्षेत्र में शोध से नौकरी तक उनकी यात्रा की योजना बनाई जाए।
- साथ ही यह जीएटीआई से विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग तथा गणित (एसटीईएम) में लैंगिक समानता के मूल्यांकन के लिए विस्तृत चार्टर और रूपरेखा विकसित करेगा।

आगे की राह

- लैंगिक समता को प्रोत्साहन देने वाले देशों में विकास की दर अधिक होती है। महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं और अध्येतावृत्तियां शुरू की गई हैं जो उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। भारत में विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से उभरती महिलाएं जैव-प्रौद्योगिकी जैसे विषयों में विशेष रूप से छाप छोड़ रही हैं।
- देश के वैज्ञानिक अभियानों-खास तौर से अंतरिक्ष कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी कितनी जरूरी है- यह भारत का पड़ोसी चीन शायद ज्यादा बेहतर समझता है। वहां के ज्यादातर अंतरिक्ष अभियानों में युवा महिला वैज्ञानिक शामिल हैं।
- इसके विपरीत भारत में मंगलयान, चन्द्रयान-2 प्रक्षेपण जैसी शानदार उपलब्धि में महिलाओं की कमी ने दर्शा दिया कि अभी देश महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अभियानों में लैंगिक समानता के मकसद में कितना पीछे है। वैसे यह कमी महिलाओं के उत्थान के नजरिये से ही नहीं, भारतीय विज्ञान की तरक्की की दृष्टि से भी चिंतित करने वाली है।
- इस कमी का अर्थ यह नहीं है कि महिलाएं ऐसे क्षेत्रों में आना नहीं चाहती हैं बल्कि उनके लिए काम करने लायक माहौल ही नहीं बन पाया है। सच यह है कि लड़कियां साइंस और इसी तरह के चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में करियर चुनना चाहती हैं लेकिन इस संबंध में न तो उन्हें उचित मार्गदर्शन मिलता है और न प्रोत्साहन।
- साइंस और टेक्नोलाजी से जहां मनुष्य के जीवन स्तर में सुधार, सामरिक क्षमताओं में बढ़ोत्तरी और ऐसे अनुसंधानों और विकास गतिविधियों की उम्मीद की जाती है जो वैश्विक होड़ में प्रतिस्पर्धात्मक तकनीक को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, तो वहीं यह अपेक्षा भी है कि वह सामाजिक गैर-बराबरी, खास तौर पर लैंगिक भेदभाव समाप्त करने में भी योगदान दें। इसके लिए जरूरी है कि युवा महिलाओं को विज्ञान में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया जाए।

सामान्य अध्ययन पेपर-1

Topic:

- महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं सम्बद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखीय हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भू-भौतिकीय घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान-अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं (जल-स्रोत और हिमावरण सहित) और वनस्पति एवं प्राणिजगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव।

प्र. विज्ञान के क्षेत्र में लैंगिंग समानता के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों का विस्तार से चर्चा करें।

03 भारत में दो बच्चों की नीति की आवश्यकता : एक अवलोकन

चर्चा का कारण

- नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 (NFHS-5) द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक, ग्रामीण और शहरी इलाकों में आधुनिक गर्भनिरोधक (कॉन्ट्रासेप्टिव) के इस्तेमाल को लेकर लोगों की समझ काफी विकसित हुई है। इसके अलावा बच्चों की औसत संख्या में भी गिरावट आई है। ऐसे में कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ये आंकड़े इस बात का सबूत हैं कि देश में 'जनसंख्या विस्फोट' का डर निराधार है और केवल दो बच्चे पैदा करने की योजना लाने की जरूरत नहीं है।

परिचय

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में स्वतंत्रता दिवस के भाषण में जनसंख्या नियंत्रण को देशभक्ति का एक रूप बताया था। वर्ष 2020 में भी पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए शादी की उम्र में संशोधन पर जोर दिया था, जिसे कई लोग अप्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या नियंत्रण करने की कोशिश के तौर पर ही देख रहे थे।
- दिसम्बर 2020 की शुरुआत में आए NFHS-5 की रिपोर्ट के पहले भाग में 17 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का रिकॉर्ड डेटा उपलब्ध है। इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट पॉपुलेशन (PC) का डेटा एनालिसिस बताता है कि 17 में से 14 राज्यों के 'टोटल फर्टिलिटी रेट' में गिरावट आई है। इन राज्यों में प्रति महिला बच्चों का औसत 2.1 या इससे भी कम है।
- रिपोर्ट की मानें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और बिहार जैसे राज्यों में 2015-16 की तुलना में कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल काफी बढ़ा है।
- 2005 से 2016 के बीच NFHS-3 और NFHS-4 के आंकड़े एकत्रित किए गए थे। उस दौरान 22 में से 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कॉन्ट्रासेप्टिव के आधुनिक तरीकों (ओरल पिल, कॉन्डम, इंट्रा-यूट्रिन डिवाइस) के इस्तेमाल में बड़ी गिरावट देखी गई थी, लेकिन NFHS-5 में 12 में से 11 राज्यों में इनका इस्तेमाल पहले की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ा है।

भारत में प्रजनन दर में गिरावट

- जब भारत आजाद हुआ था तब 1950 में औसत प्रजनन दर छह के करीब थी यानी एक महिला औसतन छह बच्चों को जन्म देती थी। लेकिन अब प्रजनन दर 2.2 प्रति महिला हो गई है और प्रतिस्थापन स्तर (रिप्लेसमेंट लेवल) पर पहुंचने वाली है। भारत में प्रजनन दर अब भी 2.1 के औसत प्रतिस्थापन दर (एवरेज रिप्लेसमेंट रेट) तक नहीं पहुंची है। औसत प्रतिस्थापन दर प्रजनन क्षमता का वो स्तर है जिस पर एक आबादी खुद को पूरी तरह से एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में बदल देती है।
- 2017 में देश के 22 प्रमुख राज्यों में प्रजनन दर 2.2 प्रति महिला थी। असंतुलित लैंगिक अनुपात की वजह से अब भी यह आबादी को स्थिर बनाए रखने वाले 2.1 की दर से अधिक है। हालांकि, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें काफी विविधता है। प्रजनन दर में आई कमी की वजह आवाजाही में बढ़ोतरी, शादी में देरी, उच्च शिक्षा और महिलाओं की बढ़ती आर्थिक स्वतंत्रता है।
- भारत में राष्ट्रीय स्तर पर 2021 या उससे अगले 2 सालों में कुल प्रजनन दर, प्रतिस्थापन दर से नीचे हो जाएगी। प्रतिस्थापन दर का मतलब उस दर से है, जब किसी देश की आबादी में कोई वृद्धि नहीं होती है। इसका आशय है कि जितने लोगों की मृत्यु होती है, लगभग उतने ही लोगों का जन्म होता है। ऐसी स्थिति को प्रतिस्थापन दर शून्य माना जाता है। विश्लेषकों के मुताबिक, 2021 से 2041 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर टीएफआर में तेजी से गिरावट जारी रहने का अनुमान है, जिसकी वजह से प्रजनन दर, प्रतिस्थापन दर से 1.8 से कम हो जाएगी।
- जानकारों के मुताबिक भारत में शादी करने की उम्र में बढ़ोत्तरी हुई है, लोग अब दो बच्चों की बीच अंतराल रख रहे हैं। लोगों में परिवार नियोजन को लेकर ही नहीं सिर्फ जागरूकता आई है बल्कि ज्यादा बच्चों की वजह से होने वाले आर्थिक परेशानियों को लेकर भी जागरूकता आई है। खास तौर पर गरीब लोगों में ये जागरूकता आ रही है।

दो बच्चों के कानून का मुद्दा

- अक्टूबर 2019 में असम सरकार द्वारा फैसला लिया गया था कि जिनके दो से ज्यादा बच्चे होंगे, उन्हें 2021 के बाद सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इसके अलावा 11 और राज्यों में दो बच्चों का कानून लागू है लेकिन इसका दायरा थोड़ा सीमित है। जैसे गुजरात, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा में ये नियम सिर्फ स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के संदर्भ में लागू किया गया है। जैसे पंचायत, जिला परिषद चुनाव और नगर निगम के चुनाव आदि। हालांकि, महाराष्ट्र में ये नियम दो से ज्यादा बच्चे होने पर राज्य सरकार में नौकरी पर भी प्रतिबंध लगाता है। राजस्थान में भी स्थानीय चुनाव लड़ने और सरकारी नौकरी दोनों पर प्रतिबंध लगाता है।

कठोर कानून कितना असरदार

- चीन में एक बच्चे की नीति को कठोरता से लागू किया गया। इससे ये हुआ कि वहां लैंगिक अनुपात बढ़ गया। लड़कियों की संख्या बहुत कम हो गई। भारत में भी ये देखने को मिला की जब छोटे परिवार को बढ़ावा दिया गया तो लड़कियों की संख्या कम हो गई। इसलिए जरूरी होगा कि लड़कियों को बचाने पर भी ध्यान दिया जाए।
- अभी तक भारत की जो जनसंख्या नियंत्रण नीति रही है, वह चीन के जैसी मजबूत नहीं है। इसे सख्ती से इसलिए लागू नहीं कर पाते क्योंकि भारत के समाज में इतनी तरह के समुदाय हैं कि कोई पसंद करेगा तो कोई नहीं। इसलिए कोई सरकार नहीं चाहेगी कि एक को खुश करें और एक को दुखी। इसलिए दो बच्चों के कानून को अगर लाया जाता है तो जनसंख्या बढ़ने कारणों पर साथ में ध्यान दिया जाना चाहिए।

- शुरुआत से भारत में छोटे परिवार को ही बढ़ावा दिया गया। पहले ये लक्ष्य आधारित था यानी कि तय संख्या में लोगों की नसबंदी करानी है। इसमें औरतों को महज एक शरीर के तौर पर देखा जाता था लेकिन, उसके बाद वैश्विक स्तर पर कुछ बदलाव हुए और भारत में भी ये सोचा गया कि इसे जबरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता। फिर इसे मांग आधारित बनाया गया यानी लोगों के पास विकल्प रखा गया।
- चीन की बात करें तो लोग एक बच्चे में बेटे को ही महत्व देते थे। दूसरा चीन की जनसंख्या बूढ़ी होने लगी यानी वहां जवान कम और बूढ़े लोग ज्यादा हो गए। इसके अलावा लोगों को बुढ़ापे में संभालने के लिए कोई नहीं रहा। इस प्रकार सामाजिक दायरा छोटा हो गया।

आगे की राह

- भारत में 1980 के दशक में 'हम दो, हमारे दो' का नारा काफी लोकप्रिय हुआ था। इसके जरिए बड़े पैमाने पर परिवार नियोजन अभियान चलाया गया था। इस अभियान का सकारात्मक प्रभाव हुआ। भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट (टीएफआर) पहले से ही कम है। जब साल 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अपनाई गई थी तब देश का टीआरएफ 3.2 था जबकि 2018 के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में 2.2 हो गया था। अंतरराष्ट्रीय अनुभव से पता चलता है कि बच्चों की एक निश्चित संख्या के लिए किसी भी जोर-जबरदस्ती का विपरीत परिणाम होता है और जनसांख्यिकीय विकृतियों की ओर ले जाता है।
- चूंकि लोक स्वास्थ्य राज्य के अधिकार का विषय है और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचाने के लिए राज्य सरकारों को स्वास्थ्य क्षेत्र में उचित एवं टिकाऊ तरीके से सुधार करने चाहिए। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार का काम राज्य सरकारें प्रभावी निगरानी तथा योजनाओं एवं दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के नियमन एवं नियंत्रण की खातिर विशेष हस्तक्षेप के साथ प्रभावी ढंग से कर सकती हैं।
- जनसंख्या और विकास पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की कार्रवाई का कार्यक्रम, 1994, जिसमें भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है, साफ तौर पर परिवार नियोजन में जबरदस्ती के खिलाफ है। वर्तमान में भारत रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल प्राप्त करने की ओर बढ़ रहा है और मातृ एवं बाल मृत्यु दर को कम करने में उल्लेखनीय सुधार किया है। प्रतिबद्धता और दृढ़ता के साथ भारत जनसंख्या स्थिरीकरण और देश के विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।

सामान्य अध्ययन पेपर-1

Topic:

- महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं सम्बद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार।

प्र. प्रजनन दर में कमी आने से हाल के दशकों में भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर धीमी पड़ी है। ऐसे में दो बच्चों के कानून बनाने से फायदा और नुकसान की चर्चा कीजिये।

04 भारतीय संविधान का अनुच्छेद-356 और न्यायिक सक्रियतावाद

चर्चा का कारण

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसके तहत उसने यह जांच करने का निर्णय लिया था कि क्या आंध्र प्रदेश राज्य में "संवैधानिक टूट" की स्थिति है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह रोक राज्य की जगनमोहन रड्डी सरकार की याचिका के आधार पर लगाई है।
- चूँकि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का आदेश न्यायिक अधिरचना का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय पर रोक तो लगा दी है, परन्तु इसे देखते हुए संविधान में आवश्यक परिवर्तन करने की आवश्यकता है, ताकि अनुच्छेद-356 के दुरुपयोग को रोका जा सके और भारतीय संघवाद को इसकी पूर्ण भावना के साथ मजबूत किया जा सके।

परिचय

- राज्य के कार्यकारी को निलंबित करने और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन स्थापित करने के लिए "संवैधानिक टूट" या संवैधानिक विफलता एक वैध आधार है। यह विशेष रूप से कार्यपालिका में निहित शक्ति है और न्यायपालिका द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।
- भारत और पाकिस्तान ने इस प्रावधान को भारत सरकार अधिनियम, 1935 से ग्रहण किया। हालांकि, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने इस प्रावधान का विरोध किया था, जिससे ब्रिटिश सरकार को इस प्रावधान को निलंबित करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- परन्तु विडंबना यह है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिस प्रावधान का हमने विरोध किया था, वह लोकतंत्र, संघवाद और स्थिरता के नाम पर आज संविधान में उपस्थित है और उपयोग में भी है।
- 11 जून, 1947 को संविधान सभा में यह सहमति बनी कि राज्यपाल इस आपातकालीन शक्ति का उपयोग कर सकते हैं।
- परन्तु इसके लिए राज्यपाल का चुनाव राज्य के लोगों द्वारा किया जाना था, बजाय केंद्र के उम्मीदवार के और यहाँ यह तर्क दिया गया था कि केवल प्रत्यक्ष चुनावों से राज्यपाल पूर्णतः प्रज्ञ नहीं बन जाएंगे।
- हालाँकि जी.बी. पंत, एच.एन. कुंजरु ने इसका विरोध किया और इसे 1935 के अधिनियम का आभासी पुनरुत्पादन करार दिया।
- अल्लादी कृष्णस्वामी ने भी केंद्र में प्रतिनिधि सरकार के नाम पर इस प्रावधान को सही ठहराया लेकिन बाद के दशकों में उन्हें राज्यपालों और केंद्र सरकार दोनों के संबंध में गलत साबित कर दिया गया।

अनुच्छेद-356

- डा. भीम राव अम्बेडकर ने राष्ट्रपति शासन को संविधान के लिये एक Dead Letter बताया था और भविष्य में कभी इसका प्रयोग न किये जाने के अनुमान के विपरीत संविधान के लागू होने के बाद से अब तक 125 से अधिक मौकों पर इसका प्रयोग/दुरुपयोग किया जा चुका है।
- अनुच्छेद 355 यह कहता है कि यह संघ या केन्द्र की जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि हर राज्य को बाहरी व आन्तरिक खतरों से बचाया जाए एंव हर राज्य संविधान के अनुरूप के ही कार्य करें
- अनुच्छेद 356 यह कहता है कि किसी राज्य में संवैधानिक ढ़ांचे के असफल होने के कारण वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लेकिन इसके भी दो मुख्य प्रावधान हैं-
  - पहला यह कि ऐसा केवल राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजी गई रिपोर्ट के द्वारा ही किया जा सकता है। उस रिपोर्ट से यदि राष्ट्रपति संतुष्ट होता है केवल तब ही राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और इस प्रतिवेदन में राज्यपाल ,राज्य में संवैधानिक ढ़ांचे के असफल होने का उल्लेख करता है।
  - दूसरा यह कि अनुच्छेद 365 के मुताबिक, अगर कोई राज्य, केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये निदेशों का पालन करने मे असफल रहता है या पालन नहीं करता है तो राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में वहाँ राष्ट्रपति शासन इस आधार पर लगा सकता है कि वहाँ संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है।
- राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के दो महीनों के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना जरूरी है। यदि इस बीच लोकसभा भंग हो जाती है तो इसका राज्यसभा द्वारा अनुमोदन किए जाने के बाद नई लोकसभा द्वारा अपने गठन के एक महीने के भीतर अनुमोदन किया जाना जरूरी है।
- 44वे संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसमें कुछ बदलाव किये गये। राष्ट्रपति शासन के 1 साल से ज्यादा बढ़ाने के लिये दो शर्तें अनिवार्य हैं-
- **पहली-** देश में देश के किसी भाग में आपातकाल लगा हुआ हो।
- **दूसरी-** संबंधित राज्य में समय से विधान सभा चुनाव आयोजित नहीं हो पाये हैं।
- राष्ट्रपति शासन लगने के बाद उस राज्य की सारी गातिविधियाँ व शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती हैं, सिवाय उस राज्य के उच्च न्यायालय को छोड़कर।
- राज्य की विधायिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद के हाथों में होती हैं।
- इस दौरान राज्य में बनाया गया कोई भी कानून तब तक लागू रहता है जब तक कि उस राज्य की विधायिका द्वारा उसे खारिज या संशोधित न किया जाए।

अनुच्छेद 356 सम्बंधित समितियां और सिफारिशें

- सरकारिया आयोग ने सिफारिश की कि अनुच्छेद 356 का अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। जब अनुच्छेद 256, 257 व 355 के तहत कार्यवाहियों के विकल्प समाप्त हो चुके हों।

- वस्तुत: राष्ट्रपति शासन संघ की शक्तियों का विस्तार है। यह संघ पर कर्तव्य डालता है कि राज्य को बाहरी एवं आंतरिक अशान्ति से रक्षा करे (अनुच्छेद 355)। इसके अतिरिक्त यह व्यवस्था बनी रहे कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार संचालित हो। उसी संदर्भ में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था की गई है।
- इसके अलावा एस.आर. बोम्मई निर्णय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के कठोर दुरुपयोग पर अंकुश लगाने का प्रयास किया, जिसमें राष्ट्रपति शासन लागू करने के कुछ परिदृश्यों को उचित ठहराया गया था।
- एस.आर. बोम्मई मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने राज्य सरकारों को भंग करने की शर्तों और इसकी प्रक्रिया को भी निर्धारित किया।
- इन समितियों ने केंद्र और राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार के कुछ फैसलों में संशोधन की बात कही जिसमें अनुच्छेद 356 के तहत लगाए जाने वाले राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी में राज्यों का सहयोग और समवर्ती सूची में केंद्र सरकार को उदारता बरतने की सलाह दी गयी।
- हालांकि, कई समितियों की सिफारिश और एक कानूनी पूर्व उदाहरणों के बावजूद, इस अनुच्छेद के दुरुपयोग पर अंकुश नहीं लगाया गया है।

न्यायिक सक्रियता बनाम कार्यपालिका

- न्यायिक सक्रियता का अर्थ इस रूप में लिया जाता है कि जब राज्य के अन्य अंग अपने संवैधानिक कृत्यों को करने में अपनी सही भूमिका नहीं निभाते हैं या जब विधि का निर्माण विधि के अनुसार न होकर राजनैतिक और व्यक्तिगत आधार पर हो जाता है तब न्यायिक सक्रियता इनको नियंत्रित करके लोकतंत्र में लोक में मन मे विधि के शासन के लिए विश्वास पैदा करती है। इसी तरह जब न्यायपालिका को लगता है कि 'विधि का शासन' नहीं रहा तब 'विधि का शासन' स्थापित करने के लिए न्यायपालिका राज्य के अन्य अंगों के कार्य में हस्तक्षेप करके लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करती है। लेकिन कभी कभी इस प्रक्रिया में लोकतंत्र के वास्तविक मूल्य खतरे में भी पड़ते मालूम होते हैं तब यह न्यायिक सक्रियता विवाद का विषय बन जाती है।
- स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायापिक हस्तक्षेप की अतिवादिता के खिलाफ आवाज उठाते हुए संयम बरतने की सलाह दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर यह भी जोर दिया है कि हमारे संविधान में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों व अधिकारों का विभाजन उचित ढंग से किया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका को अपने अधिकार व दायित्वों का ध्यान रखते हुए कार्यपालिका व विधायिका के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
- संसद और विधानसभाओं में भी समय समय पर न्यायिक सक्रियता के खिलाफ आवाज उठती रही है। अगर हम श्रेष्ठ लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें तो यह बात सामने आती है कि अगर राज्य के सभी अंग अपना अपना कार्य विधि के अनुसार करें, तो किसी भी अंग को किसी दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
- चूंकि न्यायालय भी कानून से बाहर जाकर कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है। जब विधायिका कमजोर पड़ती है और मजबूत राजनैतिक इच्छाशक्ति का अभाव होता है या जब विधायिका में जातिगत व्यवस्था और किसी विचार विशेष की जगह कानून से भी ऊपर हो जाती है, तब ऐसी विधायिका 'विधि का शासन' स्थापित करने में असक्षम हो जाती है। ऐसी स्थिति में न्यायिक सक्रियता के रूप में न्यायपालिका अपनी भूमिका का निर्वहन करती है।

निष्कर्ष

- वस्तुत: भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था की स्वीकृति प्रदान करता है जिसने केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तर पर द्वैध राजपद्धति की व्यवस्था की गई है। साथ ही संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कर क्षेत्रधिकारों को भी निर्धारित किया गया है।
- संघ एवं राज्य दोनों स्तर पर लोकप्रिय सम्प्रभुता को मान्यत: प्रदान की गई है। दोनों स्तर पर जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार है। अत: यदि मनमाने तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो यह राज्यव्यवस्था के संघीय चरित्र को तो नकारता ही है साथ ही साथ लोकप्रिय सम्प्रभुता के सिद्धांत का भी विरोध करता है।
- हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को स्थगित किया जाना यह सुनिश्चित कर सकता है कि उन कानूनी हस्तक्षेप के प्रयासों को सीमित किया जाये जो राज्य की शक्तियों के पृथक्करण की व्यवस्था को प्रभावित करते है। परन्तु अनुच्छेद-356 के बार-बार होने वाले दुरुपयोग को रोकने के लिये व्यापक संवैधानिक संशोधन और मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की भी आवश्यकता होगी।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य - सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक/ अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका।

प्र. भारतीय संविधान का अनुच्छेद-356 और न्यायिक सक्रियतावाद पर टिप्पणी करें।

05 ईरान–अमेरिका संबंधों में एक बेहतर कूटनीति की आवश्यकता

चर्चा का कारण

- हाल ही में इराक की राजधानी बगदाद में ग्रीन जोन में स्थित (ग्रीन जोन प्रमुख सरकारी कार्यालयों और पश्चिमी डिप्लोमेटिक मिशन का गढ़ है) अमेरिकी दूतावास में कम से कम तीन रॉकेट हमले किए गए. इस हमले के लिए एक आपराधिक समूह को दोषी ठहराते हुए अमेरिका का मानना है कि ने ये रॉकेट बगदाद के शिया बहुल पूर्वी हिस्से में अल रशीद कैम्प से दागे गए थे,जिसे ईरान से आपूर्ति की थी। विदित हो कि सितंबर 2020 में अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि अगर इराकी सरकार इन रॉकेट हमलों को रोकने के लिए अगर निर्णायक कार्रवाई करने में विफल रही तो वह बगदाद में अपने दूतावास को बंद कर देगा। इसके अतिरिक्त अमेरिका ने ईरान को धमकी दी है कि अगर इन हमलों में किसी अमेरिकी नागरिक की मौत हुई तो इसका सैन्य कार्रवाई के जरिए जवाब दिया जाएगा। जानकारों का मानना है कि इन हालातों में तनाव के बढ़ने की आशंका बढ़ गई है।

परिचय

- नवंबर 2020 में अमेरिका ने इराक से अपने सैनिकों को वापस लाने की घोषणा की तो ईरान के सहयोगी शिया संगठन ने सीजफायर संघर्ष विराम की घोषणा की ताकि अमेरिकी सैनिकों के वापस जाने की प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सके। इसके विपरीत अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय वाइट हाउस में ऐसी चिंता है कि ईरान समर्थित सैनिक इराक में जनवरी के महीने में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की याद में हमला कर सकते हैं। बहरहाल, ईरान के साथ अमेरिका का रिश्ता हमेशा से नाजुक रहा है और हल्के उकसावे पर ही स्थिति विस्फोटक हो उठती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि संबंधों को पटरी पर लाने और खुद पर लागू पाबंदियों को हटवाने का यह मौका ईरान कतई न गंवाए।
- विश्लेषकों का मानना है कि ईरान, अमेरिका से सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकता। इस तरह की लड़ाई में उसे दुनिया के बाकी किसी देश का समर्थन मिलना मुश्किल है। इस बात की संभावना है कि अमेरिका के खिलाफ ईरान प्रॉक्सी वार की शुरुआत कर सकता है। इसमें उसे कुछ देशों के सशस्त्र चरमपंथी गुटों का समर्थन मिल सकता है। अमेरिका के खिलाफ ईरान के इस तरह के युद्ध में उसे लेबनान, यमन, इराक और सीरिया का समर्थन मिल सकता है। लेकिन कोई भी देश इसमें खुलकर सामने नहीं आना चाहेगा।

डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में बढ़ा तनाव

- ईरान और अमेरिका के बीच तनाव डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद बढ़ा था। ट्रंप प्रशासन ने इजरायल और खाड़ी देशों को करीब लाने की कोशिश की, जबकि ईरान इसके लिए तैयार नहीं था। 2018 में ट्रंप ने तेहरान के साथ एक ऐतिहासिक परमाणु समझौते से खुद को बाहर निकाल लिया और एकतरफा प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया। इसके बाद इस जनवरी 2020 में ट्रंप ने बगदाद हवाई अड्डे के पास हवाई हमले का आदेश दिया, जिसमें ईरान का वरिष्ठ जनरल कासिम सोलेमानी मारा गया। इसके अलावा, भी ट्रंप प्रशासन ने कई ऐसे फैसले लिए, जिनकी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता गया।

ईरान परमाणु समझौते का पेंच

- वर्ष 2015 में ईरान ने परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद के पाँच स्थाई सदस्यों-अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी के साथ एक समझौते पर सहमति जताई थी। इस समझौते को सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 2231 के तहत समर्थन दिया था। वर्ष 2015 में हुआ समझौते वैश्विक परमाणु अप्रसार तन्त्र और क्षेत्रीय व अन्तरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम था। इस समझौते को साझा व्यापक कार्ययोजना (Joint Comprehensive Plan of Action) के नाम से जाना गया।
- अमेरिका द्वारा इस समझौते से हटने और ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों को कड़ा करने के अलावा इस क्षेत्र में अमेरिकी जंगी जहाजी बेड़ों की वजह से तनाव भी काफी बढ़ गया था। चूंकि ट्रंप चाहते थे कि ईरान के साथ नया समझौता हो, जिसमें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय संघर्ष में उसकी भागीदारी रोकने की बात हो, किन्तु ईरान ने इससे इनकार किया लेकिन इससे ईरान की मुद्रास्फीति बढ़ गई और उसकी मुद्रा में गिरावट आई। ईरान ने समझौते से अलग होने के बाद दोबारा परमाणु कार्यक्रम शुरू करने और अधिक मात्रा में यूरेनियम के संवर्धन को लेकर भी एलान कर दिया था। अन्तरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) का मानना है कि अमेरिका के पीछे हटने के बाद ईरान ने भी यूरेनियम संवर्धन की मात्रा, भारी जल और कम संवर्धित यूरेनियम के भण्डारण, परमाणु रिसर्च और विकास के लिए तयशुदा सीमाओं को पार किया है।

अब्राहम एकॉर्ड को लेकर बाइडेन से उम्मीदें

- डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव हारने के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान परमाणु समझौते को "फिर से" लागू करने की प्रतिबद्धता दिखाई है। ओबामा और जो बाइडेन के दिनों के इस ऐतिहासिक समझौते को बहाल करने के अलावा, बाइडेन ऐसा इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि अमेरिका द्वारा ईरान परमाणु समझौते से हटने का, वाशिंगटन के ट्रांसअटलांटिक संबंधों पर विपरीत असर पड़ा है। हालांकि, ईरान के संदर्भ में देखें तो ट्रंप के प्रशासन वाले सालों में ईरान ने खुद को धीरे-धीरे इस समझौते की प्रतिबद्धता से दूर कर लिया। मुख्य रूप से इस परिप्रेक्ष्य में कि इस समझौते के अंतर्गत किसी भी देश को यूरेनियम के जितने संसाधन रखने की इजाजत है, ईरान के पास अब उसके मुकाबले, यूरेनियम के 10 गुना से भी अधिक संसाधन हैं। ऐसे में जो बाइडेन के लिए भी ईरान के प्रति अमेरिकी रुख को तेजी से बदलना बेहद मुश्किल होगा।

- इसके अलावा, बाइडेन की इस योजना को लेकर कि वो तेहरान को कूटनीति वापसी के लिए एक विश्वसनीय मौका प्रदान करेंगे और इसे बातचीत के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में देखेंगे। विश्लेषकों का मानना है कि ईरान अब शर्तों पर फिर से बात नहीं करेगा। इसलिए, पहले किए जा चुके समझौतों के बिंदुओं को कम से कम समय में दोबारा लागू करने के लिए बाइडेन प्रशासन, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर "अधिकतम दबाव" बनाए जाने की नीति को जारी रख सकता है, ताकि इस समझौते के मद्देनजर ईरान को कम से कम उस स्थिति में वापस लाया जा सके, जहां वो डोनाल्ड ट्रंप के शासन में आने से पहले था।
- ईरान के मुद्दे पर इजराइल और अरब देशों के साथ आने के बाद, ईरान परमाणु समझौते का विरोध करने वाले, इजराइल और अरब देशों को, इस समझौते के मुद्दे पर एक बार फिर शांत करना, बाइडेन प्रशासन के लिए बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि ओबामा प्रशासन ने यह काम पी 5+1 की वार्ता में उनकी सीधी भागीदारी को दरकिनार कर किया था। खासतौर पर इजराइल को लेकर जो बाइडेन ने आने वाली मुश्किलों को भांप लिया है, और यही वजह है कि उन्होंने अपने चुनावी अभियान में, इजराइल को एक मुख्य सहयोगी के रूप में लगातार मदद देने और सुरक्षित रखने की ओर प्रतिबद्धता दिखाई।

भारत के रणनीतिक हित

- भारत के लिए, जो बाइडेन की सरकार निश्चित रूप से सहयोग और मदद का भाव रखेगी फिर चाहे वह चाबहार बंदरगाह जैसे रणनीतिक हितों की बात हो या फिर भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ईरान को एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में बहाल करने की उसकी प्राथमिकता। हालांकि, इजराइल और अरब देशों के बीच साझेदारी से जो बाइडेन के हाथ बंधे होने के चलते, नई दिल्ली के लिए यह मुश्किल होगा कि वह ईरान के साथ अपने संबंधों के मुद्दे पर सर्वसम्मति बना पाए।
- अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह को अपनी प्रतिबंध सूची में शामिल नहीं किया है। अमेरिका द्वारा चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंध न लगाए जाने से भारतीय निवेशक निवेश हेतु उत्साहित हैं। इस प्रकार ईरान को पश्चिम एशिया में भारत की क्षेत्रीय नीति के तीन स्तंभों में से एक माना जाता है क्योंकि यह भारत के लिये विशाल तेल और गैस संसाधनों के साथ-साथ भू-राजनीतिक महत्त्व रखता है।
- दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश भारत चाहता है कि नई अमेरिकी सरकार ईरान और वेनेजुएला से तेल आपूर्ति फिर शुरू करने की अनुमति दे ताकि देश को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिये ज्यादा विकल्प मिले।
- अमेरिका में सरकार बदलने से भारत के साथ उसके संबंधों के मामले में कुछ नहीं बदलेगा। दोनों देशों के बीच रिश्ते प्रगाढ़ हैं। दोनों एक-दूसरे पर निर्भर हैं।

निष्कर्ष

- भारत के लिये अमेरिका और ईरान के साथ अपने संबंधों में संतुलन स्थापित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। भारत, ईरान के साथ अपने आर्थिक संबंधों का विस्तार करना चाहता है परंतु तेहरान और वाशिंगटन के बीच उत्पन्न तनाव नई दिल्ली के प्रयासों में बाधक बन रहा है। इसलिए विश्लेषकों का मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सैन्य तनाव क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हो सकता है।
- यदि ईरान पर ज्यादा दबाव दिया गया तो वो प्रतिकूल कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में हालात अमेरिका के लिए सही नहीं होंगे। वहीं समूचे क्षेत्र के लिए भी इस तरह के हालात सही नहीं होंगे और इससे चिंगारी भड़कने के आसार बढ़ जाएंगे।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

प्र. खाड़ी में किसी भी प्रकार का संकट इस क्षेत्र में स्थिति को बदतर बना सकता है और मध्य-पूर्व में शांति-प्रक्रिया को ठप कर सकता है। चर्चा कीजिये।

06 भारत में श्रम कानूनों का उल्लंघन एवं उससे संबंधित मुद्दे

चर्चा का कारण

- हाल ही में कर्नाटक के कोलार स्थित विस्ट्रॉन कंपनी में कर्मचारियों के द्वारा हिंसा और तोड़फोड़ की गई, जिसमें कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ। दरअसल ये पूरा मामला नरसापुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित ताईवानी कंपनी विस्ट्रॉन कॉर्पोरेशन के प्लांट की है।
- इस प्लांट में एप्पल आईफोन बनाने और असेंबल करने का काम किया जाता है। जानकारी के अनुसार, कई महीनों से वेतन न मिलने और वेतन में कटौती से तंग आकर कंपनी के ही कर्मचारियों द्वारा ऑफिस पर पत्थरबाजी और हिंसा की गई।
- सरकार द्वारा फैक्ट्री में तोड़फोड़, औद्योगिक श्रमिकों के अधिकारों और उद्योगों द्वारा दबाव पर चिंता जताई गई है।

मामला क्या है?

- इस घटना के लिए गैर-भुगतान, या केवल आंशिक भुगतान, वेतन में कटौती या रोक और श्रम कानूनों के उल्लंघन को जिम्मेदार बताया गया है।
- भारत में उद्योगों को श्रम कानूनों को लगातार हतोत्साहित करने के लिए जाना जाता है, जैसे मजदूरी अनुबंध जारी नहीं करना और पर्याप्त सुरक्षा प्रदान किए बिना महिला श्रमिकों को रात की पाली में नियोजित करना उनके लिए सामान्य है।
- विस्ट्रॉन फैक्ट्री की बात करें तो इसने इस साल उत्पादन शुरू किया और लगभग 2,000 स्थायी श्रमिकों और 7,000 ठेका श्रमिकों को रोजगार दिया है, परन्तु अभी तक फैक्ट्री में मजदूर यूनियन नहीं है।
- राज्य श्रम विभाग द्वारा घटना में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के अनुसार विस्ट्रॉन और उसके श्रम ठेकेदारों ने कानूनों के प्रावधानों को महत्वहीन कर दिया है, जो हिंसा का कारण बनी।
- हालाँकि विस्ट्रॉन प्रबंधन ने भी अपने अनुचित कामों को स्वीकार कर लिया है और अपने उपाध्यक्ष को कंपनी के संचालन से निकाल दिया है।

- वहीं ऐप्पल कॉर्पोरेशन ने भी वैधानिक कानूनों के उल्लंघन की निंदा की है और कथित तौर पर विस्ट्रॉन को श्रम विवाद को संबोधित करने तक आगे के काम को रोक दिया है।

सरकार की प्रतिक्रिया

- केंद्र और राज्य सरकारों ने हिंसा की तीखी निंदा की है। राज्य सरकार ने कंपनी को श्रमिकों के मूलभूत अधिकारों का हनन करने के संबंध में नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार ने कहा है कि वह स्थानीय श्रम कानूनों और दूसरे नियमों का पालन करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।
- वैसे भी भारत मोबाइल फोन निर्माण में घरेलू निवेश को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से अपनी उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के तहत अधिक एफडीआई आकर्षित करने के लिए एक अनुकूल एफडीआई गंतव्य के रूप में अपने प्रचार में बहुत सक्रिय है।
- इसी संदर्भ में विस्ट्रॉन परियोजना ने भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने हेतु आत्मानिर्भर भारत योजना को बढ़ावा देने में सरकार की सफलता को प्रदर्शित किया। इसलिए सरकार इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।

एक अवसर के रूप में COVID-19

- तालाबंदी से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आर्थिक गतिविधि फिर से शुरू करने के लिए हर संभव प्रोत्साहन देना चाह रही हैं। साथ ही इस समय राज्य सरकारों ने उन व्यवसायों को आकर्षित करने के अवसर के रूप में देखा है, जो चीन से पलायन कर रहे थे और अपनी उपस्थिति स्थापित करने के लिए किसी अन्य देश की तरफ रुख कर रहे थे।
- क्योंकि COVID-19 महामारी और बढ़ती भू-राजनीतिक तनावों का चीन की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
- हालाँकि, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के प्रयास में, राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय श्रम कानून के ढाँचे को मान्यता से परे हटकर प्रभावी रूप से विचलित कर दिया है।
- राज्य सरकार ने प्रमुख श्रम कानूनों को लचीला करने के लिए एक अध्यादेश की घोषणा की थी, जिसमें फैक्ट्रीज अधिनियम 1948 शामिल है। इस अधिनियम द्वारा निम्नलिखित को नियंत्रित किया गया है-
  - सामान्य कार्य दिवस की लंबाई,
  - ओवरटाइम मजदूरी,
  - कार्य के घंटे,
  - पारियों (sifts) का समय,
  - सुरक्षा और स्वास्थ्य मुद्दे
  - भारतीय श्रम कानून
- भारत के श्रम कानून में लगभग 47 केंद्रीय कानूनों और 200 राज्य कानून हैं, जो ज्यादातर संगठित क्षेत्र पर लागू होते हैं, इन्हें आगे सुव्यवस्थित और समेकित करने के प्रयास किए गए हैं।

- 2019 में, सरकार ने 29 केंद्रीय कानूनों को चार श्रम कोडों में समेकित किया और संसद में प्रस्ताव पारित किया।
- इन कोड में शामिल है:
  - औद्योगिक संबंध;
  - व्यावसायिक सुरक्षा,
  - स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति;
  - सामाजिक सुरक्षा, और मजदूरी।

श्रम कानून से जुड़े मुद्दे

- सितंबर 2020 में राज्यसभा में श्रम कानून से जुड़े तीन अहम विधेयक पास हो गए। इनमें सामाजिक सुरक्षा बिल 2020, आजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता बिल 2020 और औद्योगिक संबंध संहिता बिल 2020 शामिल हैं।
- जानकारों का कहना है कि कानून का उद्देश्य श्रमिकों को सुरक्षा देना और जटिल नियमों को सरल बनाना है, लेकिन अधिकतर श्रम कार्यकर्ताओं का कहना है कि इसका मकसद हजारों छोटे कारखानों को छूट देना है और श्रमिकों को हड़ताल और अन्य लाभ अधिकारों से रोकना है।
- औद्योगिक कानून में बदलाव का मकसद 300 कर्मचारियों वाले कारखानों और कंपनियों को बिना किसी सरकारी मंजूरी के कर्मचारियों को काम पर रखने और निकालने की छूट होगी। फिलहाल 100 से कम कर्मचारियों वाले कारखाने या कंपनियों को छंटनी या यूनिट बंद करने से पहले सरकार की मंजूरी नहीं लेनी पड़ती थी।
- भारत में करीब 90 फीसदी श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। उन्हें नौकरी की सुरक्षा नहीं मिलती है, वेतन कम मिलता है और बहुत कम या ना के बराबर लाभ मिलता है। कोविड-19 के कारण लाखों श्रमिक बेरोजगार हो चुके हैं और उन्हें लॉकडाउन के दौरान पैदल ही घर जाना पड़ा था। नए श्रम कानून पर सालों से काम किया गया और उसके इसे संसद से पास किया गया है।

चीन मॉडल

- चीन की औद्योगिक सफलता में कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रशंसा के योग्य हैं, परन्तु विडंबना यह है कि सरकार केवल चीन के लंबे कार्य दिवसों और श्रम के लचीले उपयोग जैसे चीजों को ही ग्रहण करना चाहती है।
- हालांकि, चीन में इसके लिए नियोक्ताओं द्वारा श्रमिकों के लिए कारखानों के पास छात्रावास सुविधा और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों को प्रदान करना अनिवार्य है।
- भारत के विपरीत चीन में फैक्टरी के द्वारा उपलब्ध कराया छात्रावास सुविधा स्लम मुक्त चीनी औद्योगिक शहरों के पीछे का मुख्य कारण है।
- इसके अलावा चीन की स्थानीय सरकारें उत्कृष्ट भौतिक अवसंरचना प्रदान करने के लिए एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं और राष्ट्रीय विकास बैंकों के माध्यम से औद्योगिक उद्यमों को पर्याप्त ऋण की गारंटी देती हैं, इस प्रकार, उत्पादन लागतों के लिए सब्सिडी देती हैं।
- परन्तु भारत चीन से गलत चीजों का अनुसरण कर रहा है और एक अच्छी औद्योगिक सफलता प्राप्त करने के लिए, जो अनुकरण करने की आवश्यकता है उसे अनदेखा कर रहा है।

औद्योगिक आय

- 2018-19 में शहरी भारत में आकस्मिक श्रमिकों की दैनिक आय का औसत अनुमान, आधिकारिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार 256 (25 दिनों के काम के लिए 400 या 400 6,400 प्रति माह) है।
- यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग द्वारा परिभाषित आधिकारिक वेतन के तहत है।
- भारत में औद्योगिक श्रमिकों ने अपनी आय बढ़ाने के लिए लगातार लंबे समय तक काम किया है।
- हालाँकि व्यापार संघ ज्यादातर उत्पादकता से जुड़े श्रम लचीलेपन के लिए बातचीत का स्वागत करते हैं, लेकिन इसके एकपक्षीय लाभ का विरोध करते हैं यदि उत्पादकता लाभ मुख्य रूप से प्रबंधन को प्राप्त होता है।
- विस्ट्रॉन प्रकरण भी एक ऐसा मामला है, जिसने यह प्रदर्शित कर दिया है कि कैसे आँखों में धुल झोंका गया है, क्योंकि अक्टूबर 1948 में फैक्ट्री के प्रमुख प्रावधान को दरकिनार करते हुए अक्टूबर में कामकाजी दिन की लंबाई आठ घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी गई थी।
- इसके अलावा राज्य श्रम विभाग ने अध्यादेश के दोषपूर्ण स्वरूप को स्वीकार किया है कि अपने लाभ के लिए श्रम अधिकारों को नदारद किया गया है।

निष्कर्ष

- कोरोनावायरस महामारी के बाद लॉकडाउन में श्रम कानूनों का उपयोग गलत तरीके किया गया है, जब लाखों श्रमिक नौकरियों खोने और आजीविका के समाप्त होने पर उसके लिए संघर्ष कर रहे थे।
- इसलिए, कुछ लोग जो श्रम कानूनों में हुए इस परिवर्तन का अनुसरण कर रहे हैं उनके लिए विस्ट्रॉन की घटना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
- जब हम देश की आर्थिक प्रगति के बारे में बात करते हैं तो यह अंततः देश के लोगों के लिए है। नियमों और विनियमों को लोगों के कल्याण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक साधन के रूप में लिया जाता है। जबकि जनकल्याण ही अंतिम उद्देश्य होना चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

Topic:

- भारत में भूमि सुधार।

प्र. भारत में श्रम कानूनों की स्थिति तथा उससे संबंधित विवादित मुद्दों पर चर्चा करें।

07 वैश्विक प्रवाल भित्तियों का विरंजन : यूएनईपी की रिपोर्ट

चर्चा का कारण

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने चेतावनी दी है कि अगर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भारी कमी नहीं होती, तो सदी के अन्त तक दुनिया की सभी प्रवाल भित्तियाँ यानि कोरल रीफ (coral reefs) खत्म हो जाएँगी।

परिचय

- प्रवाल भित्तियाँ या मूंगे की चट्टानें (कोरल रीफ) समुद्र के भीतर स्थित प्रवाल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती हैं। प्रवाल कठोर संरचना वाले चूना प्रधान जीव (सिलेन्ट्रेटा पोलिप्स) होते हैं। इन प्रवालों की कठोर सतह के अंदर सहजीवी संबंध से रंगीन शैवाल जूजैंथिली पाए जाते हैं। प्रवाल भित्तियों को विश्व के सागरीय जैव विविधता का उष्णस्थल माना जाता है तथा इन्हें समुद्रीय वर्षावन भी कहा जाता है।
- प्रायः बैरियर रीफ (प्रवाल-रोधिकाएँ) उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय समुद्रों में मिलती हैं, जहाँ तापमान 20-30 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये शैल-भित्तियाँ समुद्र तट से थोड़ी दूर हटकर पाई जाती हैं, जिससे इनके बीच छिछले लैगून बन जाते हैं। प्रवाल कम गहराई पर पाए जाते हैं, क्योंकि अधिक गहराई पर सूर्य के प्रकाश व ऑक्सीजन की कमी होती है। प्रवालों के विकास के लिये स्वच्छ एवं अवसादरहित जल आवश्यक है, क्योंकि अवसादों के कारण प्रवालों का मुख बंद हो जाता है और वे मर जाते हैं। प्रवाल भितियों का निर्माण कोरल पॉलिप्स नामक जीवों के कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित अस्थि-पंजरों के अलावा, कार्बोनेट तलछट से भी होता है जो इन जीवों के ऊपर हजारों वर्षों से जमा हो रही है।
- प्रवाल भित्तियाँ बेहद महत्वपूर्ण हैं और समुद्री जीवन की विस्तृत विविधता को बनाए रखने के लिये बेहद अहम हैं। वे लहरों और तूफानों से होने वाले क्षरण से भी सुरक्षित रहते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन को सोखते हैं और पोषक तत्वों को फिर से इस्तेमाल लायक बनाने यानि री-सायकिल करने में मदद करते हैं। उनका नुकसान होने से न केवल समुद्री जीवन के लिये विनाशकारी परिणाम होंगे, बल्कि वैश्विक स्तर पर उन एक अरब से अधिक लोगों को भी हानि पहुँचेगी, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनसे लाभान्वित होते हैं।

कोरल ब्लीचिंग की बढ़ती समस्या

- जब पानी का तापमान बढ़ता है, तो कोरल अपने ऊतकों में रहने वाले जीवन्त सूक्ष्म शैवाल को बाहर निकाल देते हैं। इसे कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। हालाँकि ब्लीच हुए कोरल अब भी जीवित होते हैं और यदि स्थिति में सुधार होता है, तो वे अपने शैवाल को पुनर्बहाल कर सकते हैं। लेकिन, इसके खत्म होने से उनके तनाव में वृद्धि होती है और अगर यह ब्लीचिंग जारी रहती है, तो कोरल मर जाते हैं।
- इससे पहले वैश्विक ब्लीचिंग की घटना 2014 में शुरू हुई और 2017 तक चली। यह प्रशान्त, भारतीय और अटलांटिक महासागरों में फैली, और अब तक की सबसे लम्बी, सबसे व्यापक और विनाशकारी कोरल ब्लीचिंग की घटना के रूप में दर्ज है। यूनेप (यूएन पर्यावरण कार्यक्रम) की Projections of Future Coral Bleaching Conditions रिपोर्ट के अनुमानों में कोरल ब्लीचिंग और जलवायु परिवर्तन के बीच की कड़ी को रेखांकित किया है।
- यह रिपोर्ट दो सम्भावित परिदृश्य दर्शाती है: जीवाश्म ईंधन द्वारा भारी रूप से संचालित विश्व अर्थव्यवस्था की सबसे खराब स्थिति; और एक बीच का रास्ता, जिसमें देशों ने कार्बन उत्सर्जन को 50 प्रतिशत तक सीमित करने के लिये अपनी वर्तमान प्रतिबद्धताओं को पूरा कर लिया है।
- यूनेप का अनुमान है कि 2034 तक प्रत्येक वर्ष गम्भीर ब्लीचिंग होने से, दुनिया की हर एक रीफ चट्टान सदी के अन्त तक खत्म हो जाएगी। इसके बाद प्रवाल भित्तियों की वापसी की कोई उम्मीद नहीं रहेगी, और भोजन, तटीय सुरक्षा, दवाओं और मनोरंजन के अवसरों सहित, पारिस्थितिक तन्त्र सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला की आपूर्ति करने की उनकी क्षमता खत्म हो जाएगी।

ग्लोबल वार्मिंग की गम्भीर स्थिति

- हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और कैरिबियाई महासागर में कोरल ब्लीचिंग की घटनाएँ सामान्य रूप से घटित होती रही हैं,

परंतु वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग के कारण लगातार समुद्र के बढ़ते तापमान व अल-नीनो के कारण प्रवाल या मूंगे का बढ़े पैमाने पर क्षय हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री-जल का ताप बढ़ने से प्रवाल भित्ति का विनाश होने लगता है। वर्तमान में लगभग एक-तिहाई प्रवाल भित्तियों का अस्तित्व ताप वृद्धि के कारण संकट में पड़ गया है।

- अमेरिका के राष्ट्रीय समुद्री और वातावरणीय प्रशासन (NOAA) ने कहा है कि इन भित्तियों को बचाने के लिये अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने की कोशिश करने की जरूरत है। यूनेप के अनुसार, जबकि यह ठीक से मालूम नहीं है कि कोरल बदलते तापमान के साथ कैसे अनुकूलन करते हैं, रिपोर्ट में यह सम्भावना जताई गई है कि सम्भवतः यह अनुकूलन 0.25 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बीच होता है।

महासागरीय अम्लीकरण का बढ़ता स्तर

- महासागरीय अम्लीकरण को समुद्री जल की pH में होने वाली निरंतर कमी के रूप में परिभाषित किया जाता है। महासागरों में प्रवेश करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ संयुक्त होकर कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करती है, जिससे महासागर की अम्लता बढ़ जाती है और समुद्र के पानी की pH कम हो जाती है। महासागरीय अम्लीकरण प्रवाल जीवों को उनके कठोर कंकाल को निर्मित करने से रोकता है। ऐसा महासागरों द्वारा मानव-जनित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की अधिक मात्रा को अवशोषित करने से होता है।
- अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, नेत्राणी और मालवा में प्रवाल भित्तियाँ पायी जाती हैं। लक्षद्वीप में ये चक्रवातों के लिये अवरोधक का कार्य कर तटीय कटाव की रोकथाम में भी सहायता करते हैं। लक्षद्वीप समूह के प्रवाल तंत्रों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि महासागरीय अम्लीकरण काफी चिंता का विषय है, क्योंकि हिंद महासागर में बहुत से प्रवाल पहले से ही नष्ट होने की अवस्था में हैं।

आगे की राह

- लगातार ब्लीचिंग की चपेट में आने की आशंका के साथ-साथ पुनर्जीवित होने और भित्ति निर्माण की क्षमता भी घट जाती है। इसके अलावा, क्षय हो चुके प्रवाल के रोगों से ग्रसित होने और अन्य जीवों द्वारा खाए जाने की संभावना बढ़ जाती है। प्रवाल का खतरा जितना दिखता है उससे भी कहीं अधिक हो सकता है। प्रवाल द्वीप के विनाश को रोकने हेतु उपायों में तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक काल से 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना, प्रवाल द्वीपों के पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता के अनुकूल ही पर्यटन व मत्स्यन को बढ़ावा देना, प्रवालों पर आजीविका के वैकल्पिक साधनों को विकसित किया जाना सम्मिलित हैं।
- प्रवाल द्वीपों के विभिन्न हितधारकों और NGO आदि के संयुक्त प्रबंधन जैसे दृष्टिकोण के माध्यम से प्रवाल द्वीप की रक्षा की जा सकती है। रासायनिक रूप से उन्नत उर्वरकों, कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों के उपयोग को न्यून करना चाहिये। खतरनाक औद्योगिक अपशिष्टों को जल स्रोतों में प्रवाहित करने से पहले उन्हें उपचारित करना चाहिये। जहाँ तक संभव हो, जल प्रदूषण से बचना चाहिये।
- निष्कर्षतः कोरल रीफ पारिस्थितिक तंत्र विभिन्न प्रकार की मानवीय आवश्यकताओं का समर्थन करते हैं। वे निर्वाह, मत्स्य पालन, पर्यटन, तटरेखा संरक्षण और उपज यौगिकों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो नई दवाओं के विकास में महत्वपूर्ण हैं।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

प्र. यूएनईपी की रिपोर्ट के अनुसार अगर वैश्विक समुदाय अपने वर्तमान ग्रीनहाउस-गैस उत्सर्जन पर कायम रहती है, तो कोरल 2 डिग्री सेल्सियस अनुकूलन के साथ भी जीवित नहीं रह पाएँगे.ऐसे में कोरल रीफ की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए प्रमुख सुझाव प्रस्तुत कीजिये।

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स

01 अंटार्कटिका में कोविड- 19

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में अंटार्कटिका में चिली के एक अनुसंधान केंद्र में 36 लोग कोरोनावायरस से संक्रमित पाए गए हैं। दक्षिणी महाद्वीप पर कोरोना वायरस का यह पहला मामला है। इस प्रकार अब दुनिया के सातों महाद्वीपों पर कोरोना वायरस पहुँच चुका है।

2. प्रमुख बिन्दु

- कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद अंटार्कटिका में पर्यटन पर रोक लगा दी गई थी। माना जा रहा है कि बीते 27 नवंबर 2020 को चिली से कुछ सामान अंटार्कटिका पहुंचा था। इसी वजह से यहां लोगों में संक्रमण फैला।
- अंटार्कटिका महाद्वीप लगभग 60 स्थायी स्टेशनों को छोड़कर निर्जन है। अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए भारत सहित कई देशों द्वारा स्थायी स्टेशनों का निर्माण किया गया है।
- अंटार्कटिका और महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीएओआर), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार हर साल अंटार्कटिका में भारतीय वैज्ञानिक मिशन का आयोजन करता है और इसरो लंबे समय से इसमें भाग ले रहा है।

3. अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान स्टेशन

- अंटार्कटिका में भारतीय दल कोरोना वायरस फैलने से चिंतित नहीं है। दो भारतीय स्थायी स्टेशन मैत्री और भारती, चिली बेस से कम से कम 5,000 किमी दूर हैं।
- भारत ने सबसे पहले 1983-84 में अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री नाम से अपना पहला बेस शुरू किया था।
- मैत्री अनुसंधान केन्द्र (Maitri Research Station) अंटार्कटिका में भारत का दूसरा स्थाई अनुसंधान केन्द्र है। इसका निर्माण 1989 में किया गया। मैत्री पूर्वी अंटार्कटिका के रानी मौड धरती क्षेत्र में शिरमाकर ओएसिस (Schirmacher Oasis) नामक एक पथरीले पठारी इलाके में स्थित है।
- भारती, मैत्री रिसर्च सेंटर से लगभग 3000 किमी दूर है। इस बेस की शुरुआत भारत ने 18 मार्च 2012 में की थी, ताकि इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम के लिए साइंटिफिक रिसर्च एक्टिविटी हो सके। भारत का ये रिसर्च सेन्टर अंटार्कटिका में स्टॉर्न्स पेनिनसुइला में थाला जोर्द और क्विल्टी बे के बीच मौजूद है।

4. अंटार्कटिका संधि प्रणाली

- वर्ष 1959 से पूर्व ब्रिटेन, अर्जेंटिना, चिली, आस्ट्रेलिया, नार्वे एवं न्यूजीलैण्ड के बीच अंटार्कटिका को लेकर एक समझौता हुआ एवं इन 6 देशों ने अंटार्कटिका की भूमि पर अपना-अपना हिस्सा भी तय कर लिया था। उपरोक्त 6 देशों के अतिरिक्त फ्रांस, जापान, बेल्जियम, अमेरिका, सोवियत संघ एवं दक्षिण अफ्रीका इस संधि में शामिल थे। इस संधि के अनुसार 'कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिका' में कार्य करने के लिये अनेक नियम कानून बनाए गए। भारत को 1984 में इसकी सदस्यता प्राप्त हुई।
- वर्ष 1991 की अंटार्कटिका संधि के अनुसार अगले पाँच दशक तक अंटार्कटिका से किसी भी प्रकार के खनिज अथवा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं किया जाएगा। साथ ही वहाँ पर सम्पन्न किए जा रहे वैज्ञानिक कार्यों की जानकारी भी संबद्ध देश एक-दूसरे को उलपलब्ध कराएंगे।
- अंटार्कटिका में किसी प्रकार के परमाणु परीक्षण न करने एवं अंटार्कटिका का उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों के लिये करने का प्रावधान भी संधि में शामिल है।

02 इलेक्टोरल बॉन्ड एवं सूचना का अधिकार

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेने वाले राजनीतिक दल और दान करने वालों का खुलासा करने में कोई सार्वजनिक हित नहीं है। सूचना आयुक्त सुरेश चंद्रा ने कहा कि इस मामले में ऐसा कोई जनहित नहीं है जिसमे दानकर्ता और दान लेने वालों के निजता के अधिकार का उल्लंघन करने की जरूरत हो।

2. मामला क्या था?

- आरटीआई अर्जीकर्ता विहार धुर्वे ने मांग की थी कि स्टेट बैंक अपने खातों से इलेक्टोरल बॉन्ड लेने और देने वालों की जानकारी दे। बैंक ने ये सूचनाएं देने से मना कर दिया था।
- सूचना आयोग ने कहा कि बुक ऑफ अकाउंट से बॉन्ड दानकर्ता और दान लेने वालों के नाम सार्वजनिक करना आरटीआई ऐक्ट-2005 की धारा 8 (1) (ई) और (जे) के विरुद्ध है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जनवरी 2020 में इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी करने और कैश करने के लिए अधिकृत किया था।
- सूचना आयोग ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, 2018 के प्रावधान 7(4) के तहत खरीदार की सूचनाएं गोपनीय हैं और अधिकृत बैंक उन्हें किसी को भी किसी कानून के तहत सार्वजनिक नहीं कर सकते।

3. इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है?

- सरकार ने वर्ष 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की थी। इसमें व्यक्ति, कॉरपोरेट और संस्थाएं बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में देती हैं और राजनीतिक दल इस बॉन्ड को बैंक में भुनाकर रकम हासिल करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और उसे भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है।
- ये बॉन्ड बियरर प्रोमिसरी नोट की तरह से होते हैं जिन्हें कोई भी भारतीय नागरिक या कॉरपोरेट बॉडी खरीद सकती है और राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में दे सकती है। पार्टी इसे 15 दिन में कैश करवा सकती है और दानदाता के केवाईसी सिर्फ बैंक के पास ही रहते हैं जिस पर कोई नाम नहीं होता।
- कोई भी डोनर अपनी पहचान छुपाते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक करोड़ रुपए तक मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद कर अपनी पसंद के राजनीतिक दल को चंदे के रूप में दे सकता है। ये व्यवस्था दानकर्ताओं की पहचान नहीं खोलती और इसे टैक्स से भी छूट प्राप्त है। आम चुनाव में कम से कम 1 फीसदी वोट हासिल करने वाले राजनीतिक दल को ही इस बॉन्ड से चंदा हासिल हो सकता है।
- केंद्र सरकार ने इस दावे के साथ इस बॉन्ड की शुरुआत की थी कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी।

4. कैसे काम करते हैं ये बॉन्ड

- बॉन्ड 1000 रुपए, 10000 रुपए, एक लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के गुणकों में जारी किए जाते हैं। ये बॉन्ड नकद में नहीं खरीदे जा सकते और खरीदार को बैंक में केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) फॉर्म जमा करना होता है।

5. इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

- इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की वैधता को 2018 में उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। केंद्र ने बॉन्ड योजना का बचाव किया और कहा था कि राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे की यह बेहद पारदर्शी व्यवस्था है। इसके बाद शीर्ष अदालत ने मई 2019 मई में चुनावों से पूर्व इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

6. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

- सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र को लोगों के लिए कामयाब बनाना है।

03 कोविड 19 एवं बाल विवाह

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में जारी ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट 2020 (The Global Girlhood Report 2020) के अनुसार कम से कम आधा मिलियन (halfa-million) लड़कियों को जबरन बाल विवाह का शिकार होने का खतरा है।

2. प्रमुख बिन्दु

- कोविड-19 महामारी से पहले, भारत उन देशों में से एक था, जहां बाल विवाह के खिलाफ अभियान चरम पर था। भारत ने शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से बाल विवाह के खिलाफ कई प्रयास किए, किन्तु गरीबी और जागरूकता की कमी के चलते अभी भी बाल विवाह विभिन्न राज्यों में हो रहे हैं।
- सेव द चिल्ड्रन रिपोर्ट (Save the Children report) कहती है कि अगले पांच साल में कोरोना महामारी के कारण 2.5 मिलियन लड़कियों की शादी जल्दी हो सकती है।
- गरीबी का सीधा संबंध बाल विवाह से है, बालिकाओं की पहुंच पहले से ही संसाधनों तक नहीं है । इसके अतिरिक्त उसे परिवार या समाज में बोझ माना जाता है। इन्ही सब वजहों से बालिकाएँ जल्दी शादी करने के लिए मजबूर हो जाती हैं।

3. बाल विवाह का दुष्प्रभाव

- ऐसे समय में जब प्रजनन और यौन स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं, लड़की और उसके अजन्मे बच्चे का जीवन अधिक जोखिम में होता है।
- बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का अतिक्रमण करता है जिससे उनपर हिंसा, शोषण तथा यौन शोषण का खतरा बना रहता है। बाल विवाह लड़कियों और लड़कों दोनों पर असर डालता है, लेकिन इसका प्रभाव लड़कियों पर अधिक पड़ता है।
- बाल विवाह, बचपन खत्म कर देता है। बाल विवाह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और संरक्षण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। बाल विवाह का सीधा असर न केवल लड़कियों पर, बल्कि उनके परिवार और समुदाय पर भी होता है।
- जिस लड़की की शादी कम उम्र में हो जाती है, उसके स्कूल से निकल जाने की संभावना बढ़ जाती है तथा उसके कमाने और समुदाय में योगदान देने की क्षमता कम हो जाती है। उसे घरेलू हिंसा तथा एचआईवी / एड्स का शिकार होने का खतरा बढ़ जाता है। खुद नाबालिग होते हुए भी उसकी बच्चे पैदा करने की संभावना बढ़ जाती है। गर्भावस्था और प्रसव के दौरान गंभीर समस्याओं के कारण अकसर नाबालिग लड़कियों की मृत्यु भी हो जाती है।
- बाल विवाह, समाज की जड़ों तक फैली बुराई, लैंगिक असमानता और भेदभाव का ज्वलंत उदहारण है। यह आर्थिक और सामाजिक ताकतों की परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया का परिणाम है।

4. भारत में बाल विवाह

- भारत में बाल विवाह में आई कमी की वजह से दुनियाभर में इस प्रथा के चलन में भी गिरावट आई है। यह कमी कई कारणों से हो सकती हैं जैसे माताओं का अधिक साक्षर होना, लड़कियों को शिक्षा के बेहतर अवसर मिलना, सरकार के सख्त कानून और गांव के लोगों का शहरों की तरफ पलायन।
- लड़कियों की शिक्षा में तेजी से बढ़ोतरी, नाबालिग लड़कियों के लिए सरकार की योजनाएं और बाल विवाह का गैर कानूनी होने तथा इसके नुकसान पर सशक्त सार्वजनिक संदेश इस बदलाव के अन्य कारण हैं।

5. बाल विवाह रोकने के लिए प्रयास

- स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल संरक्षण, पोषण एवं जल व साफ-सफाई पर मौजूदा योजनाओं को एक सिरे में बांधकर बाल विवाह की समस्या को सर्वांगीण रूप से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। यह प्रयास एक बच्चे के संपूर्ण जीवनचक्र में बाल विवाह को रोकने के लिए है, खासतौर पर उन गूढ़ नकारात्मक सामाजिक प्रथाओं को चुनौती देकर जो भारत में इस समस्या के पनपने के सबसे बड़े कारण हैं।
- भारत में 1 नवंबर 2007 को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू हुआ। इसमें बाल विवाह करना या करवाना संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। जो माता-पिता अपने पुत्र पुत्रियों का बाल विवाह करवाते हैं तो उन्हें 2 वर्ष का कारावास व 1 लाख रुपयों का दंड देने का प्रावधान है।

04 तटीय रडार नेटवर्क

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत द्वारा कोस्टल रडार चेन नेटवर्क को सागरों में उच्च खतरे के समय समयोचित निगरानी को सक्षम बनाने तथा हिंद महासागर के तटीय राज्यों में क्षमता निर्माण के उद्देश्य से विस्तार किया जा रहा है।

2. पृष्ठभूमि

- मॉरीशस, सेशेल्स और श्रीलंका को इस नेटवर्क के साथ जोड़ा जा चुका है, जबकि मालदीव और म्यांमार को जोड़ने की योजना है।
- हालाँकि मालदीव में तटीय राडार स्टेशनों में से दो पिछले साल क्रियान्वित थे और तीसरे स्टेशन पर काम चल रहा था जो कि इस साल के शुरुआत में पूरा हो गया था।
- इसके अलावा बांग्लादेश और थाईलैंड के साथ इस पर चर्चा चल रही है। इसके लिए कुछ और देशों के साथ भी इसी तरह के प्रस्ताव रखे जा रहे हैं।

3. योजना का क्रियान्वयन

- समुद्री यातायात के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान के लिये नौसेना को, 36 देशों और 3 बहुपक्षीय संगठनों के साथ व्हाइट शिपिंग समझौतों पर निर्णय के लिये सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है।
- अब तक 22 देशों और एक बहुपक्षीय संगठन के साथ समझौते संपन्न हुए हैं।
- इनमें से 17 समझौतों और एक बहुपक्षीय संगठन का संचालन किया जा चुका है।
- तटीय राडार शृंखला नेटवर्क के चरण-I के तहत, देश के समुद्र तट पर 46 तटीय राडार स्टेशन स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में चल रहे परियोजना के दूसरे चरण के तहत 38 स्थिर रडार स्टेशन और चार मोबाइल रडार स्टेशन तटरक्षक द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं और अब शीघ्र ही समाप्त होने वाला है।

4. उद्देश्य

- हिंद महासागर में समुद्री डोमेन जागरूकता को बेहतर बनाने के लिए इन देशों के साथ श्वेत शिपिंग या वाणिज्यिक शिपिंग पर सूचना का आदान-प्रदान किया जाएगा।
- हालाँकि समुद्री क्षेत्र में जागरूकता को बढ़ावा देने वाले 'हिंद महासागर क्षेत्र' हेतु सूचना संलयन केंद्र (Information Fusion Centre for Indian Ocean Region IFC-IOR) में शीघ्र ही तीन अन्य अंतर्राष्ट्रीय संपर्क अधिकारियों (International Liaison Officers-ILO) के शामिल होने की उम्मीद है। फ्रांस, जापान और अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय संपर्क अधिकारी IFC-IOR में पहले ही शामिल हो चुके हैं।

5. क्या है 'हिंद महासागर क्षेत्र हेतु सूचना संलयन केंद्र' (IFC-IOR)?

- IFC-IOR को समुद्री सुरक्षा की स्थिति को मजबूत करने और क्षेत्र के लिए एक समुद्री सूचना केंद्र के रूप में काम करने की दृष्टि से स्थापित किया गया था।
- IFC को भारतीय नौसेना द्वारा दिसंबर 2018 को हरियाणा के गुरुग्राम में नौसेना के सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र (IMAC) में स्थापित किया गया है, जो लगभग 7,500 किलोमीटर की तटीय रेखा के निर्बाध वास्तविक समय की तस्वीर बनाने के लिए सभी तटीय रडार शृंखलाओं को जोड़ने वाला एकल बिंदु केंद्र है।
- भारतीय नौसेना का सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र (IMAC) गुरुग्राम में स्थित है, जिसे 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद समुद्री डेटा संलयन के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया था।

05 महानदी फ्लडप्लेन की सुरक्षा के लिए एनजीटी पैनल

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने महानदी के बाढ़ क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।

2. पृष्ठभूमि

- जनवरी 2020 में, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि महानदी से पुनर्निर्मित 424 एकड़ जमीन का उपयोग, कटक के लोगों के लिए मनोरंजन, खेल, सांस्कृतिक और तकनीकी मूल्य को बढ़ाने के लिए किया जाएगा।
- परन्तु इसी सम्बन्ध में एक स्थानीय नागरिक ने राज्य सरकार की योजना के खिलाफ एनजीटी से संपर्क किया और आरोप लगाया कि अवैध निर्माण गतिविधियां नदी पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं और साथ ही महानदी के प्रवाह में बाधा भी उत्पन्न करती हैं।

3. एनजीटी का आदेश

- एनजीटी ने इस संदर्भ में केंद्रीय जल आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी तथा राज्य तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विशेषज्ञों के एक पैनल का गठन किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रिवरफ्रंट का विकास नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाए बिना हो।

4. बाढ़ के मैदानों के विनियमन हेतु बनाये गये कानून

- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत गंगा नदी के संबंध में जारी की गई 2016 की अधिसूचना के अलावा बाढ़ के मैदानों को विनियमित करने के लिए कोई केंद्रीय कानून नहीं है, जो गंगा या उसकी सहायक नदियों के सक्रिय क्षेत्र में किसी भी निर्माण को प्रतिबंधित करता है।
- हालाँकि कुछ राज्यों में बाढ़ के मैदानों को विनियमित करने के लिए कुछ कानून हैं जैसे-
  - मणिपुर फ्लड जोनिंग एक्ट, 1978
  - उत्तराखंड बाढ़ मैदान जोनिंग अधिनियम, 2012

6. राष्ट्रीय हरित अधिकरण

- राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, 2010 द्वारा भारत में एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) की स्थापना की गई है।
- यह एक विशेष पर्यावरण अदालत है जो पर्यावरण संरक्षण और वनों का संरक्षण से संबंधित मामलों कि सुनवाई करती है।
- अधिकरण की प्रधान पीठ नई-दिल्ली में और भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई अधिकरण के अन्य चार पीठें हैं।
- इसमें पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में भारत के सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं।
- प्रत्येक श्रेणी में निर्धारित न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की न्यूनतम संख्या 10 अधिकतम संख्या 20 होती है।

5. क्या होता है फ्लडप्लेन?

- किसी नदी के किनारे स्थित वह जलोढ़ मैदान जिसका निर्माण नदी द्वारा बहाकर लाये गये पदार्थों (अवसादों) के निक्षेप से होता है।
- बाढ़ के समय नदी का जल उसके तटबंधों को पार करके अथवा तटबंधों को तोड़कर मैदानी इलाके में फैल जाता है और बाढ़ के समय इस पर तलछट की नवीन परत जम जाती है जिसके परिणामस्वरूप बाढ़ के मैदान की सतह धीरे-धीरे ऊपर उठती जाती है।
- इस मैदान की सर्वाधिक ऊँचाई प्राय: प्राकृतिक तटबंध के ऊपर होती है। इसकी निर्माण अवस्था में इस पर दलदल, नदी विसर्प, गोखुर झील आदि पाये जाते हैं।
- कालांतर में जब किसी कारण से नदी की प्रवाह दिशा बदल जाती है, यह क्षेत्र बाढ़मुक्त हो जाता है और समतल मैदान के रूप में पाया जाता है।

06 भारत में डायरेक्ट टू होम (डीटीएच)

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में डायरेक्टो टू होम (डीटीएच) सेवाएं प्रदान करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दिशा-निर्देश में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

2. संशोधन से जुड़े प्रमुख बिंदु

- डीटीएच के लिए लाइसेंस वर्तमान 10 वर्ष की अपेक्षा अब 20 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा।
- मौजूदा डीटीएच दिशा-निर्देशों में 49 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को समय-समय पर संशोधित एफडीआई के अनुसार सरकार की वर्तमान उद्योग और आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग (DPIIT) की नीति के अनुरूप संरेखित किया जाएगा।
- इसी क्रम में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सेवा में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूरी दे दी है।
- इसके अलावा लाइसेंस शुल्क को सकल राजस्व (GR) के 10 प्रतिशत से समायोजित सकल राजस्व (AGR) के 8 प्रतिशत तक संशोधित किया गया है। सकल राजस्व (GR) से जीएसटी को घटाकर एजीआर की गणना की जाएगी।
- साथ ही लाइसेंस शुल्क वर्तमान में वार्षिक आधार के स्थान पर अब त्रिमासिक आधार पर इकट्ठा किया जाएगा।
- स्वैच्छिक आधार पर डीटीएच संचालकों के बीच बुनियादी ढांचे को साझा करने की इच्छा रखने वाले डीटीएच संचालकों को डीटीएच प्लेटफॉर्म और टीवी चौनलों की ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम को साझा करने की अनुमति दी जाएगी।

3. क्या होती है डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सेवा?

- भारत में पहली बार वर्ष 2000 में सरकार ने डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा सभी के लिए शुरू की थी।
- डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवा दूरदर्शन के प्रसारण की उपग्रह से सीधे घरों में की जाने वाली टीवी प्रसारण सुविधा है जो कि उपग्रह, एनकोडर, मल्टीपिक्सर, मॉडयूलेटर और उपभोक्ताओं से मिलकर बनता है।
- इस प्रसारण में केबल टीवी ऑपरेटर की भूमिका खत्म हो जाती है और प्रसारणकर्ता सीधे उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करता है।

4. नये दिशा-निर्देशों से लाभ

- डीटीएच क्षेत्र बड़ी मात्रा में रोजगार देने वाला क्षेत्र है। यह सीधे तौर पर डीटीएच संचालकों को रोजगार देने के साथ-साथ कॉल सेंटरों में कार्यरत कर्मियों के अलावा जमीनी स्तर पर अप्रत्यक्ष रूप से काफी बड़ी संख्या में इन्स्टॉलर्स को रोजगार प्रदान करता है।
- दीर्घकालीन लाइसेंस अवधि और रिन्युअल पर स्पष्टता के साथ-साथ सरल एफडीआई सीमा जैसे वर्तमान में जारी किए गए संशोधित डीटीएच दिशा-निर्देशों से डीटीएच क्षेत्र में नए निवेश के साथ-साथ नए रोजगार अवसरों को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- प्रस्तााावित कटौती का अभिप्राय लाइसेंस शुल्क व्यवस्था को दूरसंचार क्षेत्र के अनुकूल बनाना है। यह अंतर डीटीएच सेवा प्रदाताओं को विस्तारित अभियानों में अधिक निवेश और इसके फलस्वरूप लाइसेंस शुल्क के नियमित भुगतान में उन्हें अधिक सक्षम बना सकता है।
- डीटीएच संचालकों के द्वारा बुनियादी ढ़ांचे को साझा करने से दुर्लभ उपग्रह संसाधनों का उपयोग और कुशल तरीके से करते हुए ग्राहकों के द्वारा अदा की जाने वाली शुल्क लागतों को कम किया जा सकता है।
- वर्तमान एफडीआई नीति को अंगीकृत करने से देश में अतिरिक्त विदेशी निवेश लाया जा सकेगा।

07 मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को मंजूरी

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2020' को मंजूरी दे दी है।
- इसके पारित होते ही 'धर्म स्वातंत्र्य कानून 1968' समाप्त हो जाएगा। मध्यप्रदेश सरकार का मानना है कि इस विधेयक के कानून बनने पर कोई भी व्यक्ति दूसरे को प्रलोभन, ध मकी एवं बलपूर्वक विवाह के नाम पर अथवा अन्य कपटपूर्ण तरीके से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तरीके से उसका धर्म परिवर्तन नहीं कर सकेगा।

2. प्रमुख प्रावधान

- अपना धर्म छिपाकर (लव जिहाद) धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम का उल्लंघन करने पर तीन साल से 10 साल तक के कारावास और 50,000 रुपये के अर्थदण्ड तथा सामूहिक धर्म परिवर्तन (दो या अधिक व्यक्ति का) का प्रयास करने पर पांच से 10 वर्ष तक के कारावास एवं एक लाख रुपये के अर्थदण्ड का प्रावधान किया गया है।
- किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर एक साल से पांच साल तक का कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
- नाबालिग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मामले में दो से 10 साल तक का कारावास और कम से कम 50,000 रुपये का अर्थदंड लगाने का प्रावधान किया गया है।
- इस विधेयक में स्वेच्छा से धर्म संपरिवर्तन करने वाले व्यक्ति अथवा उसका धर्म संपरिवर्तन कराने वाले व्यक्ति द्वारा जिला दंडाधिकारी को 60 दिन पहले सूचना दिया जाना अनिवार्य किया गया है अन्यथा कम से कम तीन वर्ष तथा अधिकतम पांच वर्ष के कारावास तथा कम से कम 50,000 रुपये के अर्थदंड का प्रावधान किया गया है।
- यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक बार इस अधिनियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो उसे पांच से 10 साल तक के कारावास का सामना करना पड़ेगा।
- 'धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम' का उल्लंघन करने वाली संस्था एवं संगठन को भी अपराधी के समान सजा मिलेगी।
- अपराध को संज्ञेय और गैर जमानती बनाने के साथ उप पुलिस निरीक्षक से कम श्रेणी का अधिकारी इसकी जांच नहीं कर सकेगा।

3. कानून के अंतर्गत पीड़ित को प्राप्त लाभ

- इस अधिनियम में कार्रवाई के लिए धर्मांतरण के लिए बाध्य किए गए पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके माता-पिता या भाई-बहन अथवा अभिभावक भी शिकायत कर सकते हैं।
- साथ ही नए कानून में धर्म संपरिवर्तन (लव जिहाद) के आशय से किया गया विवाह अमान्य घोषित करने के साथ महिला और उसके बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी तय करने का प्रावधान भी किया गया है। ऐसे विवाह से जन्मे बच्चे माता-पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे।
- ध्यातव्य है कि धर्मांतरण के लिए होने वाली शादियों पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित 'धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम' को कठोर बनाने के साथ कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो देश के किसी भी राज्य में अब तक नहीं हैं।

4. विवाह संबंधित धर्मांतरण पर उच्चतम न्यायालय की राय

- सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में यह स्वीकार किया है कि जीवन साथी का चयन करने हेतु किसी वयस्क के पूर्ण अधिकार होता है जिसपर राज्य और अदालत अथवा धर्म का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।
- लिली थॉमस और सरला मुद्गल दोनों मामलों में भारत के उच्चतम न्यायालय ने पुष्टि की है कि वास्तविक आस्था के बिना और कुछ कानूनी लाभ उठाने के उद्देश्य से किए गए धर्म परिवर्तन का कोई आधार नहीं है।

7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

01 अंटार्कटिका में कोविड- 19

प्र. 'अंटार्कटिका संधि प्रणाली' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. वर्ष 1991 की अंटार्कटिका संधि के अनुसार अगले पाँच दशक तक किसी भी प्रकार के खनिज अथवा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं किया जाएगा।
2. अंटार्कटिका में किसी प्रकार के परमाणु परीक्षण न करने एवं अंटार्कटिका का उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करने का प्रावधान भी संधि में शामिल है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या : हाल ही में अंटार्कटिका में चिली के एक अनुसंधान केन्द्र में 36 लोगों कोरोनावायरस से संक्रमित पाए गए हैं। ज्ञातव्य है कि दक्षिणी महाद्वीप पर कोरोना वायरस का यह पहला मामला है। वर्ष 1959 से पूर्व ब्रिटेन, अर्जेंटिना, आस्ट्रेलिया, नार्वे एवं न्यूजीलैण्ड के बीच अंटार्कटिका को लेकर समझौता हुआ एवं इन देशों ने अंटार्कटिका की भूमि पर अपना-अपना हिस्सा भी तय कर लिया था। इस संदर्भ में उपर्युक्त दोनों कथन सही हैं, अतः उत्तर (c) होगा।

02 इलेक्टोरल बॉन्ड एवं सूचना का अधिकार

प्र. इलेक्टोरल बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इलेक्टोरल बॉण्ड की शुरूआत वर्ष 2018 में हुई थी।
2. इसमें व्यक्ति, कॉरपोरेट और संस्थाएं बॉण्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में देती हैं।
3. भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं को इलेक्टोरल बॉग जारी करने और उसे भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) 1, 2 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (b)

व्याख्या : हाल ही में केन्द्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉण्ड से चन्दा लेने वाले राजनीतिक दल और दान करने वाले का खुलासा करने में काई सार्वजनिक हित नहीं है। इस संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं; अतः उत्तर (b) होगा।

03 कोविड-19 एवं बाल विवाह

प्र. कोविड-19 एवं बाल विवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. सेव द चिल्ड्रेन रिपोर्ट के अनुसार भारत में अगले पाँच वर्षों में कोरोना महामारी के कारण 2.5 मिलियन लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से पूर्व हो सकता है।
2. स्वतंत्रता पश्चात भारत में बाल विवाह से संबंधित कोई प्रयास नहीं किये गए।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (a)

व्याख्या : सेव द चिल्ड्रेन रिपोर्ट के अनुसार अगले पाँच वर्षों में कोरोना महामारी के कारण 2.5 मिलियन लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पूर्व हो सकती है। कोविड-19 महामारी से पहले भारत में शिक्षा और जागरूकता के माध्य से बाल विवाह के खिलाफ अभियान चरम स्तर पर था। इस प्रकार कथन 1 सही है, अतः उत्तर (a) होगा।

04 तटीय रडार नेटवर्क

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. तटीय रडार शृंखला नेटवर्क के चरण-1 के तहत देश के समुद्री सीमा पर 46 तटीय राडार स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

2. अब तक 22 देशों और एक बहुपक्षीय संगठन के साथ समझौते संपन्न हुए हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या : हाल ही में भारत द्वारा कोस्टल रडार चेन नेटवर्क को सागरों में उच्च खतरे के समय समयोचित निगरानी को सक्षम बनाने तथा हिन्द महासागर के तटीय राज्यों में क्षमता निर्माण के उद्देश्य से विस्तार किया जा रहा है। इस संदर्भ में उपर्युक्त दोनों कथन सही हैं; अत: उत्तर (c) होगा।

05 महानदी फ्लडप्लेन की सुरक्षा के लिए एनजीटी पैनल

प्र. फ्लडप्लेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. जलोढ़ मैदान का निर्माण नदी द्वारा बहाकर लाये गये अवसादों के निक्षेप से होता है।
2. इस तरह के मैदानों की सर्वाधिक ऊँचाई प्राय: प्राकृतिक तटबंध के ऊपर होती है।
3. इसकी निर्माण अवस्था में इस पर दलदल, नदी विसर्प, गोखुर झील आदि पाये जाते हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3

(c) 1, 2 और 3 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एजीटी) ने महानदी के बाढ़ क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही है; अत: उत्तर (c) होगा।

06 भारत में डायरेक्ट टू होम

प्र. भारत में डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

(a) भारत में पहली बार वर्ष 2000 में डीटीएच सेवा प्रारंभ की गई थी।

(b) डायरेक्ट-टू-होम सेवा दूरदर्शन के प्रसारण की उपग्रह से सीधे घरों में की जाने वाली टीवी प्रसारण सुविधा है।

(c) इस प्रसारण में केबल टीवी ऑपरेटर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

(d) डीटीएच के माध्यम से प्रसारणकर्त्ता सीधे उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करता है।

उत्तर: (c)

व्याख्या : हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में डीटीएच सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु दिशा-निर्देश में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस संदर्भ में कथन (c) गलत है, अत: उत्तर (c) होगा।

07 मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को मंजूरी

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हाल ही में मध्यप्रदेश मंत्रिमण्डल ने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है।
2. यह विधेयक मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य कानून 1968 का स्थान लेगा।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) दोनों में से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में उपर्युक्त दोनों कथन सही हैं; अत: उत्तर (c) होगा।

7 महत्वपूर्ण खबरें

01 आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी प्रदान की है। इसके साथ ही निर्यात को बढ़ाने के लिए एक समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है।

आकाश मिसाइल क्या है?

- आकाश सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित किया गया है। इसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर तक है।
- इस मिसाइल को 2014 में भारतीय वायु सेना तथा 2015 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। विदित हो कि वर्ष 1990 में आकाश मिसाइल की पहली परीक्षण उड़ान आयोजित की गयी थी।
- यह मिसाइल किसी भी विमान को 30 किमी दूर से व 18,000 मीटर ऊंचाई तक टारगेट कर सकती है। इसमें लड़ाकू जेट विमानों, क्रूज मिसाइलों और हवा से सतह वाली मिसाइलों के साथ-साथ बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे हवाई लक्ष्यों को बेअसर करने की क्षमता है।
- आकाश मिसाइल के विकास की लागत दूसरे देशों में इसी तरह के मिसाइल की लागत से 8-10 गुना कम है। आकाश मिसाइल में कुछ अनोखी विशेषताएं हैं जैसे कि गतिशीलता, अवरोधन को लक्षित करने के लिए सभी तरह से संचालित उड़ान, एकाधिक लक्ष्य नियंत्रण, डिजिटल कोडित निर्देश मार्गदर्शन और पूरी तरह से स्वचालित संचालन आदि।

© BCCL 2020. ALL RIGHTS RESERVED.

वर्तमान स्थिति

- विदित हो कि इस मिसाइल सिस्टम को खरीदने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के 9 देशों ने रुचि दिखाई है। यही नहीं आकाश के अलावा अन्य प्रमुख उपकरणों जैसे तटीय निगरानी प्रणाली, रडार और वायु उपकरणों में भी रुचि दिखाई है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार आकाश देश की महत्वपूर्ण मिसाइल है और यह 96 प्रतिशत स्वदेशी प्रकृति की है। भारत सरकार ने 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने और मित्र देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए उच्च मूल्य वाले रक्षा प्लेटफार्मों के निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने का लक्ष्य रखा है। मंत्रिमंडल की इस पहल से देश को अपने रक्षा उत्पादों को बेहतर बनाने और उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी।
- रक्षा मंत्रालय के अनुसार इससे देश को अपने रक्षा उत्पादों को बेहतर बनाने और उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी। इससे आत्मनिर्भर भारत के तहत, भारत विभिन्न प्रकार के रक्षा उपकरणों और मिसाइलों के निर्माण में अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर सकता है।

02 पारादीप बंदरगाह के विकास से जुड़ी परियोजना को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति (सीसीईए) ने 'पारादीप बंदरगाह में केप आकार के जहाजों के आवागमन के लिए सार्वजानिक-निजी साझेदारी (पीपीपी मोड) के तहत निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (बीओटी) के आधार पर पश्चिमी बेसिन के विकास समेत आंतरिक बंदरगाह से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत और उन्नत करने से जुड़ी परियोजना को मंजूरी दी है।

पारादीप बंदरगाह के विकास से जुड़ी प्रस्तावित परियोजना के बारे में

- इस प्रस्तावित परियोजना में बीओटी आधार पर रियायत पाने वाली चयनित कंपनियों द्वारा केप आकार के जहाजों के आवागमन की सुविधा के लिए 25 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) की चरम क्षमता वाले पश्चिमी गोदी बेसिन के दो चरणों में निर्माण की परिकल्पना की गई है। प्रत्येक चरण में 12.50 एमटीपीए क्षमता का निर्माण किया जायेगा। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट (रियायत प्रदान करने वाला प्राधिकरण) केप आकार के जहाजों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए ब्रेकवाटर एक्सटेंशन एवं अन्य सहायक सुविधाओं समेत परियोजना का सहायक बुनियादी ढांचा प्रदान करने का कार्य करेगा।

परियोजना से लाभ

- इस परियोजना के शुरू होने के बाद, कोयले और चूना पत्थर के आयात के अलावा पारादीप बंदरगाह के आस-पास बड़ी संख्या में स्थापित इस्पात संयंत्रों की मौजूदगी को देखते हुए दानेदार स्लैग और स्टील के तैयार उत्पादों के निर्यात संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इस गोदी का निर्माण होने के बाद पारादीप बंदरगाह की गिनती विश्वस्तरीय और आधुनिक बंदरगाह में होगी।

इस परियोजना के अन्य लाभ

- बंदरगाह पर भीड़ को कम करेगी,
- समुद्री मालभाड़ा में कमी कर कोयला के आयात को सस्ता बनायेगी, और
- बंदरगाह के आस-पास के क्षेत्रों की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसरों का सृजन भी करेगी।

- ज्ञातव्य है कि बंदरगाह की मौजूदा कार्गो क्षमता 115 एमटी है, जिसे 2030 तक 400 एमटी तक बढ़ाने का लक्ष्य है। गोदी के निर्माण के बाद यहां 1.5 टन कार्गो वाले जहाज भी आसानी से आ सकेंगे। परियोजना के पूरा होने के बाद बड़े जहाज भी यहां आसानी से संभाला जा सकता है, जिनके लिए 18 मीटर ड्राफ्ट की आवश्यकता होती है। इन जहाजों को यहां डॉक करने से लॉजिस्टिक की लागत भी कम होगी।

पारादीप बंदरगाह के बारे में

- पारादीप बंदरगाह भारत के ओड़िशा राज्य के जगतसिंहपुर जिले में बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह महानदी के बंगाल की खाड़ी में बह जाने के स्थान पर एक गहरे पानी की बंदरगाह है, जिस कारणवश यहाँ बड़े समुद्री जहाज आ और जा सकते हैं। यह भारत की प्रमुख बंदरगाहों में से एक है।

03 सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम: अफस्पा (AFSPA)

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरे नागालैंड राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम-अफस्पा (AFSPA) को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है।

क्या है सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम: अफस्पा (AFSPA)

- भारत में सबसे पहले अंग्रेज सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए 1942 में अफस्पा को एक अध्यादेश के जरिए लागू किया था। आजादी के बाद साल 1947 में तात्कालिक अशांत स्थितियों से निपटने के लिये इसी अध्यादेश के प्रावधानों के मुताबिक चार अलग-अलग अध्यादेश लाए गए थे। साल 1948 में केंद्र सरकार ने इन चारों अध्यादेशों को मिलाकर एक समग्र सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून बनाया। बाद में इस कानून को भारत सरकार ने 1957 में निरस्त

कर दिया गया। आजादी के बाद नागालैंड समेत देश के पूर्वोत्तर इलाके में उग्रवाद तेजी से पनप रहा था। उग्रवाद से निपटने के लिए सेना की जरूरत महसूस हुई। उग्रवाद के विरूद्ध इस कार्यवाही में सेना की मदद के लिए 11 सितंबर 1958 को केंद्र सरकार ने AFSPA कानून पारित किया। साल 1972 में इसमें कुछ संशोधन भी किया गया था।

- इस कानून के तहत, केंद्र सरकार के पास किसी भी भारतीय क्षेत्र को "अशांत" घोषित करने का अधिकार होता है। अफस्पा कानून की धारा (3) के तहत, अगर केंद्र सरकार की नजर में कोई क्षेत्र "अशांत" है तो इस पर वहां के राज्य सरकार की भी सहमति होनी चाहिए कि वो क्षेत्र "अशांत" है या नहीं। लेकिन राज्य सरकारें केवल सुझाव दे सकती हैं। उनके सुझाव को मानने या न मानने की शक्ति राज्यपाल अथवा केंद्र के पास होती है। AFSPA के तहत एक बार कोई क्षेत्र 'अशांत' घोषित हो जाता है तो कम से कम तीन महीने तक वहां सुरक्षा बलों की तैनाती रहती है।

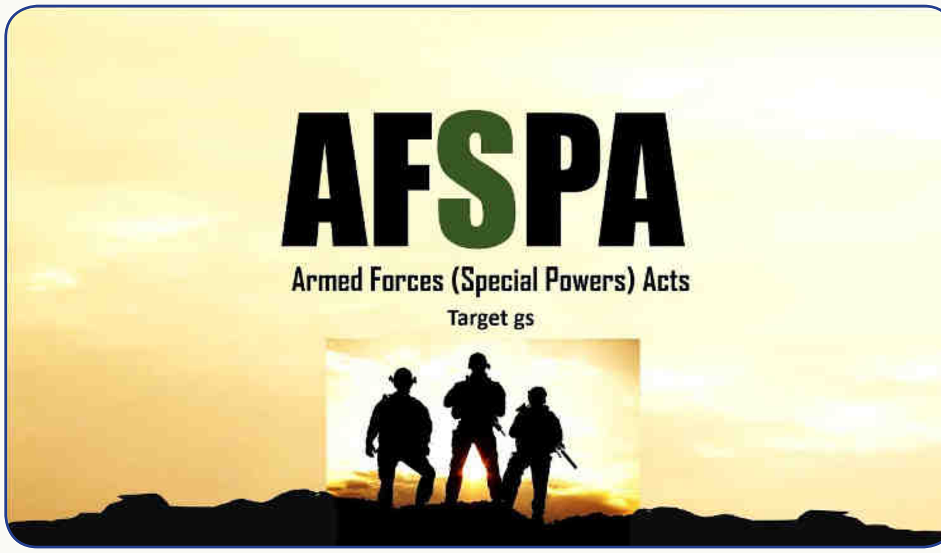

पृष्ठभूमि

- अफस्पा (AFSPA) 1958 से ही पूर्वोत्तर राज्यों में लागू है जबकि नागालैंड राज्य का गठन 1963 में किया गया था। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि संपूर्ण नागालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में हैं, जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है। गौरतलब है इससे पहले 1 जुलाई को भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया था और AFSPA की अवधि को 6 माह के लिए बढ़ाया गया था।

04 'एक विरासत अपनाएंः अपनी धरोहर, अपनी पहचान' परियोजना

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने 'एक विरासत अपनाएंः अपनी धरोहर, अपनी पहचान' (Adopt a Heritage Apni: Dharohar ApniPehchaan) परियोजना की समीक्षा बैठक की है।

समीक्षा बैठक के प्रमुख बिन्दु

- समीक्षा बैठक में विभिन्न स्मारकों की वर्तमान स्थिति और प्रगति के बारे में एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई है। इस बैठक में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री ने परियोजनाओं को तय समय के अनुरूप पूरा करने पर जोर दिया।
- केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री ने कहा कि 'एक विरासत अपनाएंः अपनी धरोहर, अपनी पहचान' एक अच्छी परिकल्पित पहल है और उम्मीद है कि इसे कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) से लाभ मिलेगा। यह परियोजना कम ख्याति वाले स्मारकों में बुनियादी सुविधाओं जैसे; साफ-सफाई, स्वच्छ पेयजल, प्रकाश और ध्वनियों को उपलब्ध कराने में मदद करेगी।

क्या है 'एक विरासत अपनाएंः अपनी धरोहर, अपनी पहचान' परियोजना?

- **'एक विरासत अपनाएंः** अपनी धरोहर, अपनी पहचान' (Adopt a Heritage ApniDharohar, ApniPehchaan) परियोजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 27 सितंबर, 2017 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर की गई थी। भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय 'एक विरासत अपनाएंः अपनी धरोहर, अपनी पहचान' परियोजना का संचालन कर रहा है। यह परियोजना पूरे देश में विरासत/प्राकृतिक/पर्यटन स्थलों पर पर्यटन सुविधाओं को योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से विकसित करने और इन्हें पर्यटकों के अनुकूल बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा किया जा रहा एक सहयोगात्मक प्रयास है।
- इस परियोजना का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ ट्रस्टों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), व्यक्तिगत और अन्य पक्षधारकों को 'स्मारक मित्र' (Monument Mitras) बनने के लिए प्रेरित करना है। इसके अलावा, इस योजना के माध्यम से देश की विभिन्न कंपनियों को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे अपनी रूचि और व्यवहार्यता के अनुरूप इन स्थलों पर बुनियादी और उन्नत पर्यटन सुविधाओं के विकास और उन्नयन की जिम्मेदारी धारण करें। साथ ही वे इनका संचालन और प्रबंधन का भी काम देखें।

05 मध्य प्रदेश में खाद्य पदार्थों एवं दवाओं में मिलावट संबंधी अध्यादेश पारित

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने एक अध्यादेश 'दण्ड विधि (मध्य प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020' को मंजूरी दी जिसमें राज्य में खाद्य पदार्थों एवं दवाओं में मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।

'दण्ड विधि (मध्य प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020' से जुड़े प्रमुख बिन्दु

- हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 'दण्ड विधि (मध्य प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 'Penal Laws (Madhya Pradesh Amendment) Ordinance, 2020 को मंजूरी दी है। इस अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेज दिया है। इस अध्यादेश में मध्य प्रदेश में खाद्य पदार्थों एवं दवाओं में मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
- मध्य प्रदेश राज्य की मंत्रिमंडल ने 12 अध्यादेशों को अनुमति दी है, इनमें से एक 'दण्ड विधि (मध्य प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 है। इसके अतिरिक्त, धार्मिक स्वतंत्रता से संबन्धित भी अध्यादेश को मंजूरी दी गयी है। 'दण्ड विधि (मध्य प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 ' में प्रत्यक्ष तौर पर मिलावट करने वाले व्यक्तियों को दंडित किया जाएगा, न कि व्यापारियों को। इस अध्यादेश के माध्यम से भारतीय दंड संहिता की धारा 272, 273, 274, 275 और 276 (सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित) में 6 महीने के कारावास और 1,000 तक के जुर्माने को बदलने के लिए संशोधन किया गया है (आजीवन कारावास की सजा हेतु)।

क्या होती है खाद्य पदार्थ में मिलावट?

- सामान्य रूप से किसी खाद्य पदार्थ में कोई बाहरी तत्व मिला दिया जाए या उसमें से कोई मूल्यवान पोषक तत्व निकाल लिया जाए या भोज्य पदार्थ को अनुचित ढंग से संग्रहीत किया जाए तो उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। इसलिए उस खाद्य सामग्री या भोज्य पदार्थ को मिलावटयुक्त कहा जाता है। आज हालात यह हैं कि बाजार में उपलब्ध खाद्य पदार्थों में मिलावट का संशय बना रहता है। दालें, अनाज, दूध, मसाले, घी से लेकर सब्जी व फल तक कोई भी खाद्य पदार्थ मिलावट से अछूता नहीं रहा है।

खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव

- वर्तमान समय में स्वार्थी उत्पादक एवं व्यापारियों के द्वारा अत्यधिक लाभ हेतु खाद्य सामग्री में अनेक सस्ते अवयवों की मिलावट कर रहे हैं, जिससे ना केवल हमें आवश्यक पोषक तत्व की आपूर्ति बाधित होती है बल्कि कई हानिकारक तत्व/रसायनों से हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिससे शारीरिक विकार उत्पन्न होने की आशंका बढ़ जाती है। खाद्य अपमिश्रण से आँखों की रोशनी जाना, हृदय संबन्धित रोग, लीवर खराब होना, कुष्ठ रोग, आहार तंत्र के रोग, पक्षाघात व कैंसर जैसी समस्या हो सकती हैं।केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में फूड प्वाइजनिंग के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जाते हैं।

06 बहरापन के इलाज हेतु नए जीन थेरेपी की खोज

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में तेल अवीव यूनीवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बहरेपन (Deafness) के इलाज हेतु अभिनव उपचार (Innovative Treatment) के रूप में नए जीन थेरेपी को विकसित किया है।

नए जीन थेरेपी की खोज के प्रमुख बिन्दु

- तेल अवीव यूनीवर्सिटी (Tel Aviv University) के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित इस नए जीन थेरेपी में बहरेपन के ईलाज हेतु आंतरिक कान की कोशिकाओं में आनुवंशिक सामग्री (Genetic Material) को पहुचाया जाता है। यह जेनेटिक मैटेरियल (Genetic Material), आनुवंशिक दोष (Genetic Defect) को 'प्रतिस्थापित' करता है और कोशिकाओं को सामान्य रूप से कार्य करने में पुनः सक्षम बनाता है।
- तेल अवीव यूनीवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कई चूहों पर अपना शोध किया। इस जीन थेरेपी से वैज्ञानिक उन चूहों में सुनने की क्षमता की क्रमिक गिरावट (Gradual Deterioration) को रोकने में सक्षम थे जिनमें आनुवंशिक उत्परिवर्तन (Genetic Mutation) के कारण बहरेपन की समस्या उत्पन्न हुई थी। गौरतलब है कि आनुवंशिक उत्परिवर्तन (Genetic Mutation) को जीव विज्ञान में डीएनए अनुक्रम (DNA Sequence) में किसी भी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया है। वैज्ञानिकों के इस शोध से उन बच्चों के

इलाज में मदद मिलेगी, जिनमें आनुवांशिक बहरेपन के लक्षण होते हैं, अर्थात उनकी सुनने की क्षमता आनुवंशिक उत्परिवर्तन (genetic mutation) के कारण प्रभावित होता है जो अंततः बहरापन का कारण बनती है।

क्या होती है जीन थेरेपी?

- जीन थेरेपी में सामान्य तौर पर चिकित्सीय उपयोग के लिए जीन को संशोधित या जीन में रूपांतरण करके जीवित कोशिकाओं के जैविक गुणों को बदला जाता है। चिकित्सा जगत में जीन थेरेपी एक ऐसी तकनीक है जिसमे किसी व्यक्ति के ईलाज के लिए जीन में रूपांतरण या संशोधन किया जाता है। जीन थेरेपी को कई तरीकों से संपन्न किया जाता है:

1. बीमारी पैदा करने वाले जीन की जगह जीन की एक स्वस्थ प्रति को स्थापित करना।
2. ऐसे जीन जो ठीक से काम नहीं कर पाने के कारण बीमारी उत्पन्न कर रहे है उन जीन को निष्क्रिय करना।
3. एक बीमारी का इलाज करने में के लिए शरीर में एक नया या संशोधित जीन को स्थापित करना।

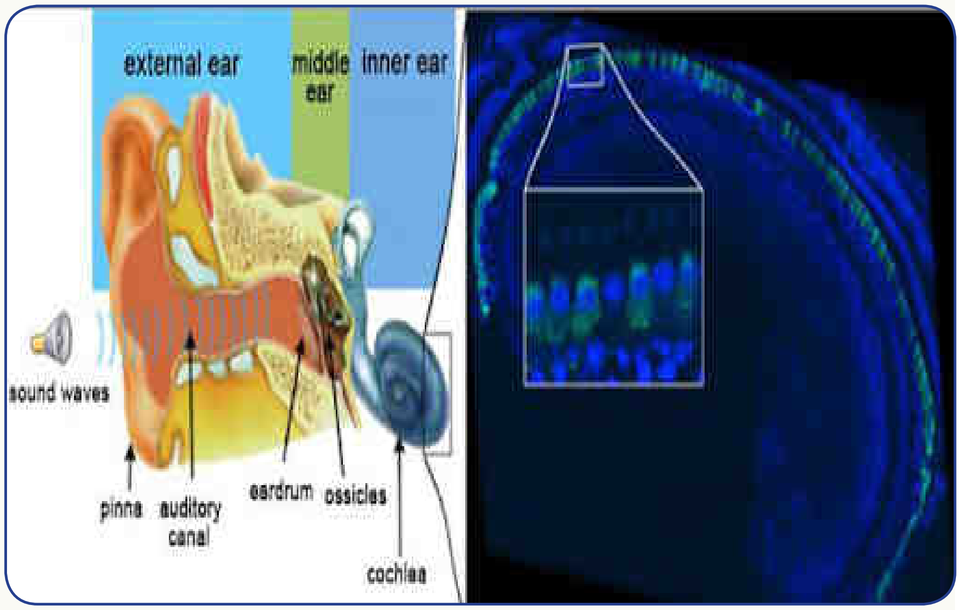

क्या होता है बहरापन?

- बहरापन (Deafness), आमतौर पर आंतरिक कान या तंत्रिका (inner ear or nerve) क्षति का परिणाम है। यह जन्मजात दोष, चोट, बीमारी, कुछ दवाइयों, तेज आवाज के संपर्क में आने, उम्र आदि के कारण हो सकता है। बहरेपन का मुख्य लक्षण ध्वनि सुनने में असमर्थता है।
- बहरापन दुनिया भर में सबसे आम संवेदी विकलांगता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, आज दुनिया भर में लगभग आधा बिलियन लोग सुनने की समस्या से पीड़ित हैं और आने वाले दशकों में यह आंकड़ा दोगुना होने की उम्मीद है। हर 200 में से एक बच्चा श्रवण दोष के साथ पैदा होता है और हर 1,000 में से एक बहरा पैदा होता है। इनमें से लगभग आधे मामलों में, आनुवंशिक उत्परिवर्तन के कारण बहरापन होता है। वर्तमान में वंशानुगत बहरेपन (hereditary deafness) से जुड़े लगभग 100 जीन (genes) हैं।

07 लद्दाख में मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना

चर्चा में क्यों?

- केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने एक मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्राकृतिक खतरों और आपदाओं, भू-सामरिक महत्व, कठोर वातावरण, बदलती जलवायु को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने लेह में इस अत्याधुनिक मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की है।

लद्दाख में स्थापित होने वाले मौसम विज्ञान केंद्र के बारे महत्वपूर्ण तथ्य

- लद्दाख में स्थापित यह मौसम विज्ञान केंद्र समुद्र तल से 3,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है एवं यह भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र है। इस मौसम विज्ञान केंद्र का संचालन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा किया जाएगा और इस केंद्र से IMD संख्यात्मक मॉडल के आधार पर शहर-विशिष्ट पूर्वानुमान जारी करेगा। यह मौसम विज्ञान केंद्र स्थानीय मौसम का पूर्वानुमान प्रदान करेगा और लद्दाख जैसे विषम उच्चावच्च वाले क्षेत्र के लिए मौसम संबंधी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत करेगा।
- यह लद्दाख के दो जिलों – लेह और कारगिल के लिए लघु-समयान्तराल (तीन दिन), मध्यम-समयान्तराल (12 दिन) और लंबे-समयान्तराल (एक महीने) का पूर्वानुमान प्रदान करेगा। यह केंद्र नुब्रा, चांगथांग, पैंगोंग झील, जांस्कर, कारगिल, द्रास, धा-बाइमा (आर्यन घाटी), खलसी जैसे पर्यटन स्थलों के संबंध में भी मौसम पूर्वानुमान प्रदान करेगा। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं जैसे राजमार्ग पूर्वानुमान, पर्वतारोहण के लिए पूर्वानुमान, ट्रेकिंग, कृषि, बाढ़ चेतावनी, तेज हवाओं की जानकारी, कम और उच्च तापमान आदि की सूचनाए भी प्राप्त की जा सकेगी।

पृष्ठभूमि

- लद्दाख क्षेत्र में ऊंचे ढलान वाले पहाड़ हैं। यहां कोई वनस्पति नहीं है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति इस क्षेत्र को विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक खतरों के लिहाज से काफी असुरक्षित और खतरनाक बनाते हैं। उदाहरण के लिए ढीली मिट्टी तथा मलबा, बादल फटने की घटना, बाढ़, हिमस्खलन और ग्लेशियर पिघलने से नदी एवं झीलों में अनियंत्रित पानी आ जाना इत्यादि।
- भविष्य में ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले को नुकसान को रोकने के लिए सरकार

को वर्ष 2020 में लेह में एक मौसम विज्ञान केन्द्र स्थापित करने की जरूरत महसूस हुई। इस केन्द्र की स्थापना लद्दाख क्षेत्र में मौसम संबंधी कोई भी सूचना अथवा चेतावनी को समय से पूर्व लोगों तक पहुंचाने की प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के बारे में

- ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के मौसम और जलवायु का अध्ययन करने के लिए 1785 में कलकत्ता और 1796 में मद्रास में ऐसे स्टेशन स्थापित किए थे। 1864 में कलकत्ता में एक विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात और इसके बाद 1866 और 1871 में भयंकर सूखे के बाद तत्कालीन भारत सरकार ने वर्ष 1875 में कलकत्ता में भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना की थी। भारत मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय बाद में शिमला, फिर पुणे और अंत में नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया। यह देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा और मौसम विज्ञान और संबद्ध विषयों से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है।

इसके द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं-

- मौसम संबंधी प्रेक्षणों को लेना और मौसम से प्रभावित होने वाली गतिविधियों जैसे कृषि, सिंचाई, जहाजरानी, विमानन, अपतटीय खनिज तेल की खोज, आदि के श्रेष्ठतम संचालन के लिए मौसम की वर्तमान और पूर्वानुमान संबंधी जानकारी प्रदान करना।
- उष्णकटिबंधीय चक्रवात, कालबैशाखी, धूल भरी आँधी, भारी वर्षा और बर्फ, शीत और उष्ण लहर आदि जैसी गंभीर मौसमी परिघटनाओं की चेतावनी देना, जो जीवन और संपत्ति के विनाश के कारण बनते हैं।
- कृषि, जल संसाधन प्रबंधन, उद्योगों, खनिजतेल अन्वेषण और अन्य राष्ट्र निर्माण संबंधी गतिविधियों के लिए आवश्यक मौसम संबंधी आँकड़े प्रदान करना
- मौसम विज्ञान और संबद्ध विषयों में अनुसंधान को संचालित करना और बढ़ावा देना।
- भूकंपों के स्थान और केंद्र बिंदु का पता लगाना और उनका पता लगाने और विकास परियोजनाओं के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में भूकंपीयता का मूल्यांकन करना।

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न
(मुख्य परीक्षा हेतु)

03

05

07

01 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–5 (NFHS-5) 2020 के आंकड़ें महिलाओं के सशक्तिकरण की तरफ इशारा करते हैं इससे आप कितना सहमत है? टिप्पणी कीजिए।

02 वन में निवासित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए वन अधिकार अधिनियम, 2006 क्रियान्वयन में उपस्थित बाधाओं का उल्लेख करते हुए इसके लिए समाधान पर अपने विचार प्रस्तुत करें।

03 भारत में बच्चों में बौनापन, अल्पभार एवं एनीमिया के सन्दर्भ में राष्ट्रीय पोषण मिशन के प्रदर्शन पर प्रकाश डालिए।

04 भारत का पाकिस्तान और चीन के साथ विवादित मुद्दों को समझाते हुए इसके लिए उचित रणनीतिक उपाय सुझायें।

05 भारत में मैंग्रोव वन को किस प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ रहा है? उन खतरों से निपटने के लिए आवश्यक उपाय बतायें।

06 भारत की टीका वितरण कार्यक्रम को कैसे आकार दिया जाए? टिप्पणी कीजिए

07 सनराइज उद्योग की परिभाषा एवं इसकी संरचना को समझाते हुए पुष्प–कृषि क्षेत्र के समक्ष उपस्थित चुनौतियों एवं समाधान का उल्लेख कीजिए।

7 महत्वपूर्ण तथ्य (प्रारंभिक परीक्षा हेतु)

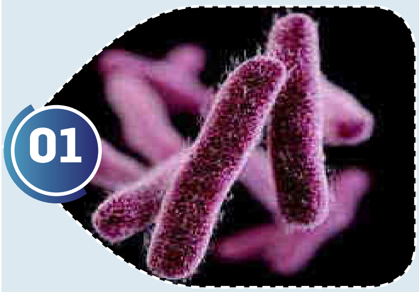
01

03

05

01 हाल ही में, केरल में शिगेला संक्रमण (Shigella Infection) के कई मामले दर्ज किए गए हैं। शिगेला संक्रमण का मुख्य कारण क्या है?

जीवाणु

02 किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री को 'लीजेन ऑफ मेरिट' से सम्मानित किया है?

अमेरिका

03 किसे भारत के 42वें रामसर साइट के रूप में चुना गया है?

त्सो कार वेटलैण्ड

04 भारत की प्रथम लीथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जा रही है?

गुजरात

05 हाल ही में एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया?

हैदराबाद

06 हिमालयन क्षेत्रों में पाए जाने वाले हिमालयन ट्रिलियम (ट्रिलियम गोवैनियम), नामक औषधीय पौधे को आईसीयूएन (IUCN) द्वारा किस श्रेणी में रखा गया है?

संकटग्रस्त

07 'स्टेट्स ऑफ तेंदुए' रिपोर्ट के अनुसार, किस राज्य में सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या दर्ज की गयी है?

मध्य प्रदेश

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

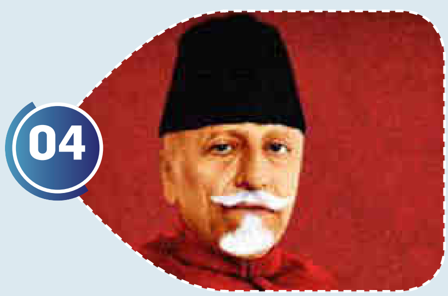

01 "सुदृढ़ मानसिकता वाले लोग सिद्धातों अथवा उद्देश्यों की चर्चा करते हैं, सामान्य मानसिकता वाले लोग घटनाओं की"

सुकरात

02 "मन एक भीरु शत्रु है जो सदैव पीठ के पीछे से वार करता है।"

मुंशी प्रेमचंद

03 "हम हार गए क्योंकि हमने खुद से कहा कि हम हार गए।"

लियो टॉलस्टॉय

04 "राष्ट्रीय शिक्षा का कोई भी कार्यक्रम उपयुक्त नहीं हो सकता यदि वह समाज के आधे भाग से जुडी शिक्षा पर ध्यान नहीं देता हो वह है महिलाओं की शिक्षा।"

मौलाना अबुल कलाम आजाद

05 "यदि तुम किसी का चरित्र जानना चाहते हो तो उसके महान कार्य न देखो, उसके जीवन के साधारण कार्यों का सूक्ष्म निरीक्षण करो"

श्री अरविंद

06 "बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए।"

डॉ भीम राव अम्बेडकर

07 "यह आपका चुनाव है की आप अपनी आशाओं को देखते हैं या अपने डर को।"

नेल्सन मंडेला

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA –9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter

(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

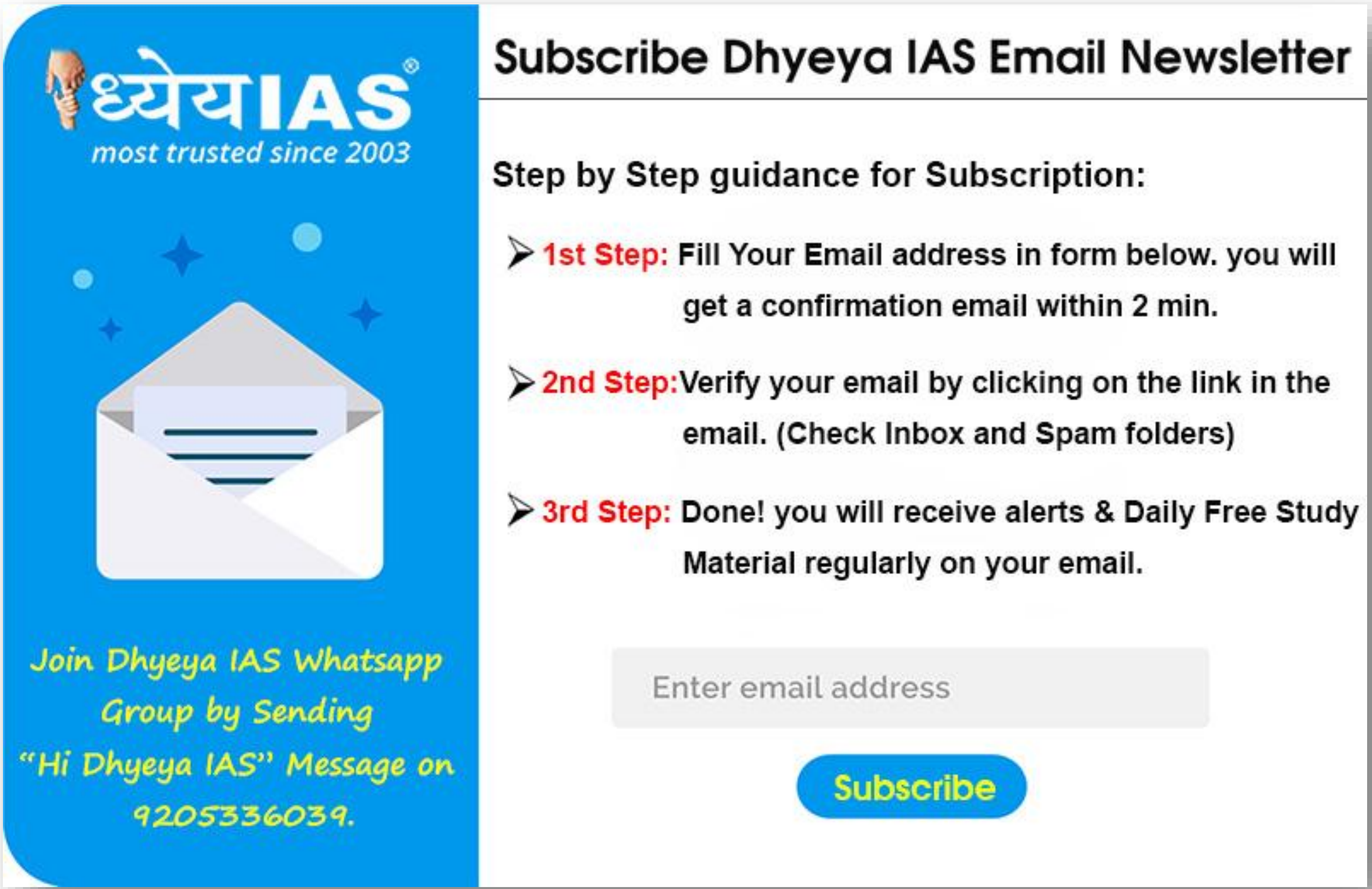

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ADMISSIONS OPEN

FOR NEW ONLINE BATCH

IAS PRE-CUM-MAINS

PCS

OPTIONAL

HINDI & ENGLISH MEDIUM

Call: 9205962002
9506256789

Whatsapp:
9205274741

Visit:
dhyeyaias.com